

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण		आंकड़े
1.	क्षेत्रफल		55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या		
	क	जनगणना (2001) के अनुपार	0.61 करोड़
	ख	जनगणना (2011) के अनुपार 2019 (अनुमान)	0.69 करोड़ 0.74 करोड़
3.	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत= 382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)		109 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी०
4.	गरीबीरेखा से नीचे की जनसंख्या (2011-12) (अखिल भारतीय औसत= 21.90%)		8.06%
5.	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)		76.50% 82.80%
6.	क) शिशु मृत्यु दर (2017) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 34) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2012-16) (अखिल भारतीय औसत = 68.7)		22 72.3
7.	मानव विकास सूचकांक (2007-08) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 0.467)		0.652
8.	गिरी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)		0.31 0.40
9.	सकल राज्य धरेल उत्पाद 2018-19 (₹ करोड़ में)		1,51,835
10.	सकल राज्य धरेल उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2009-10 से 2018-19)		13.60 (विशेष श्रेणी राज्य : 12.5)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर						
		2009-10 से 2017-18		2013-14 से 2017-18		2017-18 से 2018-19
		सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य
क	राजस्व प्राप्तियां	13.41	12.93	13.77	14.88	11.64
ख	कर राजस्व	17.65	13.54	13.08	8.54	23.22
ग	कर-भिन्न राजस्व	8.57	3.58	8.88	7.28	19.16
घ	कुल व्यय	11.95	11.44	13.53	12.23	13.97
ड.	पूँजीगत व्यय	9.64	8.59	16.47	19.27	13.68
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.97	13.48	12.59	12.04	16.16
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.37	14.02	18.84	14.87	17.91
ज	वेतन एवं मजदूरी	12.81	10.66	11.22	9.29	14.70
झ	पेंशन	19.15	16.92	16.53	13.33	13.33
						5.65

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना की सूचना (2011), हिमाचल प्रदेश का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

परिशिष्ट-1.1

भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के चुकाने से प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2018-19 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
खण्ड-I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी अनुलम्बनक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार के निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत्त व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखा टिप्पणियां
खण्ड-II	
भाग I: विस्तृत विवरणियां	
विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिह्नित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी

भाग II: परिशिष्ट	
I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान (स्कीमवार व संस्थावार)
IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
V	योजनागत स्कीम व्यय क- केन्द्रीय स्कीमें (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय योजना स्कीमें) ख- राज्य योजना स्कीमें
VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से असम्बद्ध निधियां) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
VIII	सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम
IX	प्रतिबद्धताओं का विवरण-अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची
X	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमें
XII	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2014-19 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अध्युक्तियां की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2011-12 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	103,772	114,239	125,122	136,542	151,835
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1] *100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] * 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्शेष)/2] *100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां <u>घाटा</u> मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना तथा राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना;
- वित्तीय वर्ष 2018-19 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 35 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टीयों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.3 तथा 1.11.3; पृष्ठ 8 एवं 43)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950
(i) कर राजस्व	5,940(33)	6,696 (29)	7,039 (27)	7,108(26)	7,573(24)
राज्यों का वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	1,833(26)	3,343(44)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,661(62)	3,993 (60)	4,382 (63)	2,526(36)	1,185 (16)
राज्य आबकारी	1,044(18)	1,131 (17)	1,308 (19)	1,311(18)	1,482(20)
वाहानों पर कर	220(4)	317 (05)	280 (4)	367(5)	408(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	190(3)	206 (03)	209 (3)	229(3)	251(3)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	333(5)	551(8)	372(5)	361(5)	487(7)
भू-राजस्व	17(-)	7(-)	8(-)	17(-)	8(-)
माल व यात्रियों पर कर	110(2)	115 (02)	121(2)	112(2)	104(1)
अन्य कर	365(6)	376(5)	359(4)	352(5)	305(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	2,081(12)	1,837 (08)	1,717 (6)	2,364(9)	2,830(9)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	2,644(15)	3,611 (15)	4,344 (17)	4,801(17)	5,430(18)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,178(40)	11,296 (48)	13,164 (50)	13,094(48)	15,117(49)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	650	-	-	35	9
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	41	26	30	40	22
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	18,534	23,466	26,294	27,442	30,981
5. लोक ऋण प्राप्तियां	10,877	6,129	8,603	5,600	6,427
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,892 (36)	4,294 (70)	6,831(79)	5,118(91)	4,864(76)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	6,860 (63)	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)	1,496(23)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	125(1)	50 (01)	101 (01)	82(2)	67(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	29,411	29,595	34,897	33,042	37,408
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	10,575	11,515	13,630	14,680	16,121
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	39,986	41,110	48,527	47,722	53,529
भाग-ख. व्यवसंचरण					
10. राजस्व व्यव	19,787	22,303	25,344	27,053	29,442
योजनागत	3,204 (16)	3,493(16)	4,520 (18)	3,772(14)	4,263(14)
आयोजनेतर	16,583(84)	18,810(84)	20,824(82)	23,281(86)	25,179(86)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	7,604(38)	8,788(39)	9,728 (38)	11,009(41)	11,438(39)
सामाजिक सेवाएं	7,451(38)	7,980 (36)	9,610 (38)	10,337(38)	11,482(39)
आर्थिक सेवाएं	4,723(24)	5,525 (25)	5,996 (24)	5,697(21)	6,512(22)
सहायता अनुदान व अंशदान	9(-)	10 (-)	10 (-)	10(-)	10(-)
11. पूँजीगत व्यव	2,473	2,864	3,499	3,756	4,583
योजनागत	2,431(98)	2,568(90)	3,115(89)	3416(91)	4,102(90)
आयोजनेतर	42(2)	296(10)	384(11)	340(9)	481(10)
सामान्य सेवाएं	83(3)	88(3)	208 (6)	192(5)	227(5)
सामाजिक सेवाएं	522(21)	792(28)	1,041 (30)	1,135(30)	1,187(26)
आर्थिक सेवाएं	1,868(76)	1,984(69)	2,250 (64)	2,429(65)	3,169(69)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	474	463	3,290[®]	503	468
13. योग (10+11+12)	22,734	25,630	32,133	31,312	34,493

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
14. लोक ऋण की चुकौतियां	8,260	3,948	3,943	3,500	4,673
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,410	1,557	2,198	3,021	3,092
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	6,783	2,320	1,671	400	1,496
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	67	71	74	79	85
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समंकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	30,994	29,578	36,076	34,812	39,166
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	8,844	10,577	12,351	13,043	14,493
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	39,838	40,155	48,427	47,855	53,659
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-)1,944	1,137	920	314	1,508
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870	-3,512
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 1,351	990	411 [#]	(-) 82	510
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,849	3,155	3,359	3,788	4,022
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,156	2,612	3,357	2,895	3,634
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	125	31	23	2	19
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	77	25	23	2	19
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	48	06	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	14.80	6.40	16.17	-	(0.96)
27 सकल राज्य धरेलू उत्पाद	103,772 (9.51)	114,239 (10.09)	125,122 (9.53)	136,542 (9.13)	151,835 (11.20)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	38,192	41,197	47,244##	51,030	54,299
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	4,281	3,714	4,550	4,394	4,309
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9,316	9,658	12,320	8,848	5,181
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	13	12	12	11	10
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरोधन	141	143	188	176	181
भाग ड : राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.09	0.13	0.14	0.13	0.14
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.22	0.22	0.26	0.23	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.27	1.09	1.22	1.14	1.11
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.87	0.79	0.86	0.85
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.34	0.33	0.37	0.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.29	0.29	0.26	0.26	0.28
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घेरेलू उत्पाद	0.37	0.36	0.38	0.37	0.36
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	2.14	1.76	1.80	1.86	1.75
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	170.99	111.94	289.63	255.58	181.92
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(-) 4,719	1,858	1,153	(-)119	(-)515
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं (अनुपात)	0.67	0.72	0.77	0.80	0.84
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.46	*	*	*	*
प्राथमिक राजस्व शेष/ सकल राज्य घेरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	22,734	25,630	32,133	31,312	34,493
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.17	12.74	25.37	(-) 2.56	10.16
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	19,787	22,303	25,344	27,053	29,442
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.03	12.72	13.63	6.74	8.83
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	16,583	18,810	20,824	23,281	25,179
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.81	13.43	10.70	11.80	8.15
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	3,204	3,493	4,520	3,772	4,263
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	34.23	9.02	29.40	(-)16.55	13.02
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घेरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.98	16.47	16.64	17.05	16.58
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	87.04	87.02	78.87	86.40	85.36
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	72.94	73.39	64.81	74.35	73.00
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	14.09	13.63	14.07	12.05	12.36
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	92.94	80.25	79.29	85.07	81.35
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	83.81	84.34	82.17	86.06	85.52
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	16.19	15.66	17.83	13.94	14.48
के साथ राजस्व व्यय की उत्त्लावकता					
सकल राज्य घेरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.48	1.26	1.43	0.74	0.79
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.03	0.41	1.13	1.61	0.67
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.30	0.95	1.27	0.57	1.08
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.41	1.41	0.46	-0.41	0.68

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

@ उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं

उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं

वित्तीय वर्ष 2016-17 से उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं

* राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

भाग-क: वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां						संवितरण				
	2017-18		2018-19			2017-18	2018-19			
1	2	3	4	5	6	7	आयजनेतर	योजनागत	जोड़	
प्रबंध-क राजस्व										
I-गाजस्व प्राप्तियां		27,367.06		30,950.32	I-राजस्व व्यय	27,053.16	25,178.86	4,263.25	29,442.11	29,442.11
(i) कर राजस्व	7,107.67		7,572.81		सामान्य सेवाएं	11,009.54	11,343.21	95.12	11,438.33	
(ii) कर-धन राजस्व	2,363.85		2,830.07		सामाजिक सेवाएं	10,336.55	8,918.43	2,563.77	11,482.2	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	4,801.31		5,429.77		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5,699.11	4,878.54	992.28	5,870.82	
(iv) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	3,590.26		4,010.49		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,742.97	1,329.76	562.53	1,892.29	
(v) वित्त आयोग के अनुदान	8,888.58		8,831.25		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,338.97	1,371.64	345.35	1,716.99	
(vi) अन्य अन्तरण/विधायिका के साथ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान	615.39		2,275.93		सूचना एवं प्रसारण	47.45	51.99	0.31	52.3	
					अनुसूचितजाति अनुसूचितजनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	56.15	13.25	38.41	51.66	
					त्रिम एवं त्रिम कल्याण	155.89	150.57	89.26	239.83	
					समाजिक कल्याण एवं पोषण	1,272.04	1107.95	523.32	1,631.27	
					अन्य	23.97	14.73	12.31	27.04	
					आर्थिक सेवाएं	5,696.77	4,907.83	1,604.36	6,512.19	
					कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	1,799.55	1,261.24	923.97	2,185.21	
					ग्रामीण विकास	921.79	739.47	437.42	1,176.89	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	450.49	405.15	15.62	420.77	
					ऊर्जा	372.6	583.68	0.2	583.88	
					उद्योग एवं खनिज	105.81	65.49	49.4	114.89	
					परिवहन	1,814.41	1783.08	46.94	1,830.02	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	12.23	3.54	9.78	13.32	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	219.89	66.18	121.03	187.21	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	10.3	9.39	-	9.39	
योग		27,367.06		30,950.32	योग	27,053.16	25,178.86	4,263.25	29,442.11	
II-प्रबंध-ख में लाया गया राजस्व घटा					II-खण्ड-ख से लाया गया राजस्व अधिशेष	313.9			1508.21	
योग:		27,367.06		30,950.32	योग:	27,367.06			30,950.32	

प्राप्तियां						संवितरण				
	2017-18		2018-19			2017-18	2018-19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रवर्ग- ख-पूँजीगत										
III- स्थायी अधिग्राहीयों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		316.35		183.23	III-भारतीय रिजर्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियां		34.82		8.82	IV-पूँजीगत परिव्यय	3,755.67	480.89	4,102.52	4,583.41	4,583.41
					सामान्य सेवाएं	191.78	24.56	202.57	227.13	
					सामाजिक सेवाएं	1,134.96	78.08	1,109.14	1,187.22	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	341.56	31.36	295.54	326.90	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	262.86	10.27	335.34	345.61	
					जलापूर्ति, खच्छता, आवास एवं शहरी विकास	516.43	36.11	456.26	492.37	
					सुचना एवं प्रसारण	0.16	0.34	0.15	0.49	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5.29	-	10.15	10.15	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	7.91	-	9.71	9.71	
					अन्य	0.75	-	1.99	1.99	
					आर्थिक सेवाएं	2,428.93	378.25	2,790.81	3,169.06	
					कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	59.83	2.04	72.41	74.45	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.26	10.30	5.71	16.01	
					संचार एवं बाड़ नियंत्रण	251.46	29.69	434.95	464.64	
					ऊर्जा	187.11	-	250.00	250.00	
					उद्योग एवं खनिज	72.83	5.21	41.22	46.43	
					परिवहन	1,694.47	280.98	1803.72	2084.7	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	160.97	50.03	182.80	232.83	
					योग	3,755.67	480.89	4,102.52	4,583.41	
V-ऋणों एवं अधिग्राहीयों की बमूलियां		39.61		21.83	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	502.53				467.98
विद्युत परियोजनाओं से	-	-			विद्युत परियोजनार्थ	417.59				415.93
सरकारी कर्मचारियों से	8.58		8.07		सरकारी कर्मचारियों को	3.17				7.60
सहकारिता से	28.98		13.20		सहकारिता को	56.33				28.35
अन्य से	2.05		0.56		अन्य को	25.44				16.10
VI-अप्रेनित राजस्व अधिशेष		313.90		1,508.21	VI- अप्रेनित राजस्व घाटा					

प्राप्तियां						संवितरण				
	2017-18		2018-19			2017-18	2018-19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		5600.29		6427.40	VII-लोक ऋण की चुकौती	3,499.85				4,673.35
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	5118.26		4,864.06		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	3020.82			3,092.35	
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	400.14		1,495.93		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	400.14			1,495.93	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	81.89		67.41		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती	78.89			85.07	
VIII-आकाम्पिकता निधि को विनियोजन		-		-	VIII -आकाम्पिकता निधि को विनियोजन	-			-	-
IX-आकाम्पिकता निधि को अंतरिक्त राशि		-		-	IX-आकाम्पिकता निधि से व्यय	-			-	-
X- लोक लेखा प्राप्तियां		14,679.52		16,121.24	X-लोक लेखा संवितरण	13,043.21				14,493.29
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	3768.05		3,753.46		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2376.07			2,640.31	
आरक्षित निधियां	420.27		500.34		आरक्षित निधियां	314.83			507.77	
निक्षेप एवं अग्रिम	2873.88		3,580.44		निक्षेप एवं अग्रिम	2685.26			3,171.53	
उचन्त एवं विविध	763.06		839.24		उचन्त एवं विविध	881.82			838.16	
प्रेषण	6854.26		7,447.76		प्रेषण	6785.23			7,335.52	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरेष्ट अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	183.23				52.70
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-			-	
					स्थानीय अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19			0.19	
					रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 540.68			-49.58	
					रोकड़ शेष निवेश	723.72			102.09	
योग:		20984.49		24,270.73	योग:	20984.49				24,270.73

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 29)

भाग-ख: 31 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय-	34,363.57		38,946.98
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	3,532.97	3,848.83	
अन्य पूँजीगत परिव्यय	30,830.60	35,098.15	
ऋण तथा अग्रिम-	6,507.18		6,953.33
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6,181.14	5,697.07	
अन्य विकास ऋण	292.48	1,223.17	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	33.56	33.09	
आरक्षित निधि निवेश			
रोकड़ -	183.23		52.70
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 540.68	(-) 49.58	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रदाय	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	723.72	102.09	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	10,451.65		8,934.62
योग	51,505.63		54,887.63



प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, तथा न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक
आंतरिक ऋण	33,591.47	35,363.18
ब्याज वाले बाजार ऋण	21,574.06	23,682.16
ब्याजरहित बाजार ऋण	-	-
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	51.38	34.86
नाबांड से ऋण	2,251.10	2,485.76
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	75.03	86.10
केन्द्र सरकार की एन०एस०एस०एफ० को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,635.31	6097.05
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	2,890.50	2,890.50
अन्य संस्थाओं से ऋण	114.09	86.75
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,079.43	1,061.77
आयोजनेतर ऋण	3.69	3.22
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,075.61	1,058.42
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
अन्य ऋण	0.13	0.13
आकस्मिकता निधि	5.00	5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	13,236.38	14,349.52
निक्षेप एवं अग्रिम	2,797.67	3,206.58
आरक्षित निधियां	325.02	317.60
उच्चत एवं विविध शेष	73.41	74.49
प्रेषण शेष	397.25	509.49
योग	51,505.63	54,887.63

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.2.1; पृष्ठ 8)

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य के बजट के बाहर निधि) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2018-19	2017-18
1	2	3	4
वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	23.18	--
	योग	23.18	--
अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	63.04	0.07
	योग	63.04	0.07
पंचायत सशक्तिकरण अभिमान	हिमाचल प्रदेश पंचायती प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सोसाइटी	18.62	1.00
	योग	18.62	1.00
सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण	खाद्य शिल्प संस्थान धर्मशाला	0.10	0.47
	होटल प्रबंधन संस्थान कुफरी	0.91	0.54
	होटल प्रबंधन संस्थान हमीरपुर	141.50	0.04
		142.51	1.05
योग			
विकासशील निर्यात हेतु राज्य को सहायता	राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	28.07	--
	योग	28.07	--
विज्ञान में महिलाओं हेतु दिशा कार्यक्रम	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	--	--
	सी एस के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	3.70	0.06
	डॉ वार्ड-एस.परमार बागवानी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय	1.92	0.07
		82.58	0.24
	हिमालय जैव-संसाधन संस्थान	1.82	0.06
		90.01	0.43
योग			
संसद सदस्य स्थानीय विकास	उपायुक्त	--	32.50
	योग	--	32.50
कृषि	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण	7.46	--
	बागवानी विकास हेतु मिशन	23.75	--
	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	3.38	--
	राष्ट्रीय वर्षा सिचित क्षेत्र प्राधिकरण	8.00	--
	कृषि विस्तार पर प्रस्तुतिकरण	12.49	--
	कृषि मशीनीकरण पर प्रस्तुतिकरण	14.62	--
	बीज एवं रोपण सामग्री पर प्रस्तुतिकरण	8.16	--
	उत्तर पूर्व में होलिकापुर सेवाएं	2.50	--
	भारतीय रिजर्व बैंक एन एस आयोजनेतर	4.37	--
	महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजनाएं	3.59	--
	योग	88.33	--
श्रम एवं रोजगार	चुनाव के अंग	23.07	--
	योग	23.07	--

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य के बजट के बाहर निधि) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2018-19	2017-18
ग्रामीण विकास	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	36.31	--
	राष्ट्रीय पोषण मिशन	41.53	--
	योग	77.84	--
कृषि	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	17.29	--
	योग	17.29	--
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम	हरित ऊर्जा कोरिडोर-ग्रिड	51.47	--
	योग	51.47	--
भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर	नव भारतीय प्रबंधन विज्ञान संस्थान की स्थापना	28.23	--
	योग	28.23	--
अनुसूचित जनजाति को कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीय उपलब्धि के लिए पुरस्कार हेतु एन.जी.ओ. को सहायता अनुदान	स्पिति विकास के लिए रिनचेन जांगपो सोसायटी	--	0.92
	डे गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसायटी	0.17	0.29
	बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक सोसायटी अध्ययन संस्थान, ताबो	0.20	0.40
	राम्था बौद्ध सोसायटी	0.18	0.27
	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक एसोसिएशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश	0.67	0.63
	योग	1.22	2.51
ग्रिड अतः क्रियात्मक अक्षय ऊर्जा, एमएन आर ई	साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन	--	1.00
	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेन्सी	29.48	--
	भारतीय तकनीकी संस्थान, मण्डी	0.75	--
	यूको बैंक	--	2.14
	पंजाब नेशनल बैंक	--	1.50
	भारतीय स्टैट बैंक, शिमला	2.50	--
	योग	32.73	4.64
एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी योजना	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	--	3.53
	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	--	0.04
	डा. वाय एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	--	0.07
	योग	--	3.64
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	--	8.93
	योग	--	8.93
परिवहन सम्बिंदी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	94.67	17.12
	योग	94.67	17.12
आटोमोबाइल उद्योग का विकास	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	--	19.62
	योग	--	19.62
उच्च शिक्षा योजना	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	15.06	0.71
	राजकीय पालीटैकिनक, सुन्दर नगर	--	0.09
	योग	15.06	0.80
खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (सम्पदा)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	--	--
	हिमालयन कपास यार्न निगम	--	0.92
	नए उत्पाद हेतु प्रेरणा	--	0.96
	पुलकित ताजा और स्वस्थ	--	5.00
	पावटा साहिब खाद्य निगम	--	4.39
	योग	--	11.27

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य के बजट के बाहर निधि) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2018-19	2017-18
एस टी डी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी	--	10.11
	योग	--	10.11
विकलांग व्यक्तियों के उत्थान से सम्बन्धित योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न स्कीम	विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र	--	6.94
	योग	--	6.94
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामाजिक लेखापरीक्षा ईकाई हिमाचल प्रदेश	--	--
	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसायटी	--	436.20
	योग	--	436.20
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पेकैज	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	--	40.37
	योग	--	40.37
शहर, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संप्रयोग हेतु अक्षय ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	--	13.39
	योग	--	13.39
अन्य	--	158.16	291.24
	योग	166.74	291.24
सकल योग		962.08	901.83

स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 26)

क्षेत्र-वार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	निवेश
विद्युत				
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015.57	2531.42	4546.99
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	326.45	1145.8	1472.25
3	हिमालय प्रदेश राज्य विधुत बोर्ड सीमित	720.57	4926.32	5646.89
4	व्यास घाटी विधुत निगम सीमित	300	933.4	1233.40
कृषि एवं सम्बद्ध				
5	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित	18.85	6.53	25.38
6	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	38.77	62.63	101.40
7	हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम सीमित	11.71	0	11.71
वित्त				
8	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13	0	13
9	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	12.51	0	12.51
10	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	13.02	0	13.02
अवंसरचना				
11	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवंसरचना विकास निगम सीमित	25	0	25
12	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	0	30.82
13	धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित	0.0003	0	0.0003
14	शिमला स्मार्ट सिटी सीमित	0	0	0
15	श्री नैना देवी श्री एवं श्री आनंदपुर साहिब रोप वे कम्पनी सीमित	0	0	0
विनिर्माण				
16	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.16	2.97	10.13
सेवा				
17	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.52	0	3.52
18	हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	3.72	0.55	4.27
19	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	9.25	0	9.25
20	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	12.3	0	12.30
21	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0	0.007
22	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित	0.18	0	0.18
वित्त				
23	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	99.57	111.96	211.53
सेवा				
24	हिमाचल पथ परिवहन निगम	779.49	132.87	912.36
कृषि एवं सम्बद्ध				
25	एग्रो इप्स्ट्रीयल ऐकेजिंग इण्डिया लिमिटेड	17.72	60.15	77.87
विनिर्माण				
26	हिमाचल वर्सेड मिल्स लिमिटेड	0.92	0	0.92
सेवा				
27	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	1	0	1
योग		4461.11	9914.60	14375.71

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1 तथा 1.9.4.1; पृष्ठ 26 व 33)

आंकड़ों में अन्तर प्रदर्शित करती विवरणी (राज्य सरकार द्वारा सूचित वित्त लेखों के आंकड़ों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	राज्य सामाजिक क्षेत्र के उपक्रम के अभिलेखों के अनुसार			वित्त लेखों के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्धित गांरटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्धित गांरटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्धित गांरटी
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्री कार्पोरेशन	18.85	12.98	-	9.84	0	1.49	9.01	12.98	-1.49
2	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13	-	21.59	15.88	-	8.83	-2.88	0	12.76
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	13.02	-	5	11.27	-	14.5	1.75	0	-9.50
4	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.15	2.97	-	9.89	-	-	-2.74	2.97	0
5	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	99.57	111.96	-	21.98	4.1	5.8	77.59	107.86	-5.80
6	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.0007	-	-	0	-	-	0.0007	0	0
7	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	1	-	-	0	-	-	1	0	0
8	हिमाचल पथ परिवहन निगम	779.49	-	187.3	764.05	-	187.29	15.44	0	0.01
9	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	-	62.63	2.53	-	30	8	0	32.63	-5.47
10	महिला विकास निगम	12.51	10.64	-	12.41	0	-	0.1	10.64	0
11	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	-	-	0.42	-	-	0.17	0	0	0.25
12	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम	-	0.55	-	-	-	-	0	0.55	0
13	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	326.45	1145.8	-	209.75	262.28	-	116.7	883.52	0
14	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	720.57	4926.31	-	707.96	2970.25	-	12.61	1956.06	0
15	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015.56	2531.42	-	697.64	154.9	-	1317.92	2376.52	0
16	व्यास घाटी विद्युत निगम	300	-	-	0	-	-	300	0	0
कुल		4307.17	8805.26	216.84	2460.67	3421.53	226.08	1846.50	5383.73	-9.24

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 27)

30 सितम्बर 2019 तक लाभ दर्ज करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का व्यौरा

क्रमांक	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने वाला वर्ष	निवल लाभ	राज्य सरकार की नीति के अनुसार देय न्यूनतम लाभाश	चुकाया गया लाभांश
					(₹ करोड़ में)	
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2017-18	2018-19	13.9	1.54	1.54
2.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2017-18	2018-19	5.65	0.36	0.36
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2017-18	2018-19	1.28	0.18	0.35
4.	हिमाचल प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2017-18	2018-19	0.08	0.46	0
5.	हिमाचल प्रदेश एप्रो इण्डस्ट्री कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	3.05	0.94	0
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित	2017-18	2018-19	0.79	0.19	0
7.	हिमाचल प्रदेश येय पदार्थ सीमित	2016-17	2018-19	9.49	0.05	0
	कुल			34.24	3.72	2.25

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 27)

उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण जिनके लेखे बकाया है

(कालम 4 तथा 6 से 8 में दिए गए आंकड़े ₹करोड़ में हैं)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया है		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
क कार्यशील सरकारी कम्पनियां							
1	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.00	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	0.80 0.67 0.75 -	-	-
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	12.51	2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	0.75 0.75 0.80 1.77	-	-
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.02	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	1.30 0.66 0.75 -	-	0.11 0.12 0.13 0.15 0.63
4	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित	2017-18	9.25	2018-19	-	-	-
5	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	0.07	2017-18 2018-19	- -	-	7.40 71.35
6	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	12.30	2016-17 2017-18 2018-19	- -	-	0.60 1.72 5.74
7	हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम सीमित	2015-16	11.71	2016-17 2017-18 2018-19	- -	-	-
8	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	18.85	2018-19	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2017-18	3.51	2018-19	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2017-18	30.82	2018-19	-	-	-
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2017-18	7.16	2018-19	-	-	-
12	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	2017-18	38.77	2018-19	-	8.99	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य यांत्रिकी विकास निगम सीमित	2017-18	3.72	2018-19	-	-	-
14	धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित	2016-17	0.0003	2017-18 2018-19	- -	-	-
15	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	2016-17	1.00	2017-18 2018-19	- -	-	-
16	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित	2017-18	0.18	2018-19	-	-	-
17	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2016-17	1670.90	2017-18 2018-19	137.13 160.00	-	-
18	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित	2017-18	286.45	2018-19	40.00	-	-
19	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2016-17	653.28	2017-18 2018-19	17.27 50.00	-	0.70 24.00
20	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	2017-18	300.00	2018-19	-	-	-
योग क: (कार्यशील सरकारी कम्पनियां)			3086.50		413.42	8.99	113.26
ख कार्यशील संविधिक निगम							
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2017-18	670.49	2018-19	50.00	-	305.00
2	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2017-18	99.57	2018-19	-	-	-
योग ख: (कार्यशील संविधिक निगम)			770.06		50.00		305.00
सकल योग: (क+ख)			3856.56		463.42	8.99	418.26

परिशिष्ट-1.10

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 28)

राज्य सरकार द्वारा निवेशित घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लेखे बकाया थे, का विवरण

(कालम 4, 6, 7, 8 तथा 9 में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया है	उल्लेखित अंतिम लेखों के अनुसार हानि		
						इक्विटी	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कार्यशील सरकारी कम्पनियां								
1	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2015-16	11.71	2016-17	-	-	-	10.27
				2017-18	-	-	-	
				2018-19	-	-	-	
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण सीमित	2017-18	38.77	2018-19	-	8.99	-	3.35
3	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित	2017-18	0.18	2018-19	-	-	-	0.82
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2016-17	1670.90	2017-18	137.13	-	-	32.35
				2018-19	160.00	-	-	
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	2017-18	286.45	2018-19	40.00	-	-	6.72
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विधुत बोर्ड सीमित	2016-17	653.28	2017-18	17.27	-	0.70	44.21
				2018-19	50.00	-	24.00	
सकल योग			2661.29		404.40	8.99	24.70	83.28

परिशिष्ट-1.11

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 27)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य शुरू करने की तिथि	पूर्णता की नियत अवधि	स्थिति
परियोजनाएं-प्रदान की गई, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन					
परिवहन विभाग					
1.	कांगड़ा बस अड्डा	4.50	-	-	26.09.2007 से कार्यशील
2.	आई०एस०बी०टी०, शिमला	16.00	-	-	29.08.2011 से कार्यशील
शहरी विकास विभाग					
3.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	15.00	19.12.2015	31.03.2017	प्रचालन में
पर्यटन एवं नागरिक उद्घयन विभाग					
4.	रोपवे-सह-स्की केन्द्र सोलंग नाला (कुल्लू)	36.57		जनवरी 2011	व्यवसायिक रूप से प्रचालन में
5.	होटल शिवालिक से जाखू रोप वे (शिमला)	15.00		अप्रैल 2017	व्यवसायिक रूप से प्रचालन में
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन					
6.	आपदा चिकित्सा परिवहन सेवा, हिमाचल प्रदेश	25.00	2009-10	चल रही है/सतत	प्रचालन में
7.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइग्नोस्टिक इकाईयां	अनुपलब्ध	2015 से	2018	सभी 13 इकाईयां कार्यशील
8.	हिमाचल प्रदेश में हीमोडायलिसिस इकाईयां	2.00	2015 से	चल रही है/सतत	प्रचालन में
9.	जे.एस.एस.के. एम्बूलेंस का संचालन एवं सखरखाव	आरंभिक लागत तय नहीं।	सितम्बर 2014	अनुपलब्ध	लागू है
परियोजनाएं- प्रदान की गई तथा कार्यान्वयनाधीन					
परिवहन विभाग					
10.	मकलोड़गंज बस अड्डा	5.00	23.12.2004	निर्माण अवधि 20 वर्ष	परियोजना विवाद में है तथा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।
11.	चिंतपुर्णी बस अड्डा एवं पार्किंग-सह-व्यवसायिक परिसर	आर एफ पी में परियोजना लागत तय नहीं।	29.11.2016	पूर्ण	प्रचालन में
12.	कुल्लू बस अड्डा एवं पार्किंग-सह-व्यवसायिक परिसर	आर एफ पी में परियोजना लागत तय नहीं।	16.08.2017	निर्माण अवधि तीन वर्ष है/पूर्णता की निर्धारित तिथि 16.08.2020 है।	परियोजना निर्माणाधीन अवस्था में है।
13.	ऊना बस अड्डा एवं पार्किंग-सह-व्यवसायिक परिसर	आर एफ पी में परियोजना लागत तय नहीं।	19.07.2017	पूर्ण	प्रचालन में
14.	धर्मशाला बस अड्डा एवं पार्किंग-सह-व्यवसायिक परिसर	आर एफ पी में परियोजना लागत तय नहीं।	25.08.2017	निर्माण अवधि तीन वर्ष है /पूर्णता की निर्धारित तिथि 25.08.2020 है।	परियोजना निर्माणाधीन अवस्था में है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य शुरू करने की तिथि	पूर्णता की नियत अवधि	स्थिति
पर्यटन एवं नागरिक उद्दयन विभाग					
15.	धर्मशाला मकलोड़गंज रोप वे	150.00	निर्माण कार्य शुरू किया गया	-	निर्माण कार्य शुरू किया गया
16.	हिमानी चामुण्डा रोप वे	289.24	पूर्ववर्ती शर्तों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है।	-	-
17.	पलचान रोहतांग रोप वे	340.00	पूर्ववर्ती शर्तों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है।	-	--
18.	कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव यात्री रोप वे	94.19	पूर्ववर्ती शर्तों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है।	-	-
शहरी विकास विभाग					
19.	पर्यटक सूचना केन्द्र लिफ्ट शिमला रोप वे	296.00	पूर्ववर्ती शर्तों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है।	-	-
20.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, बद्री सोलन	-	08.02.2019	31.03.2021	कार्य प्रगति पर
21.	जैव-मिथेनीकरण प्रणाली कुर्फी, शिमला	2.50			
22.	पार्किंग परिसर, सजौली	24.70	08.10.2012	-	-
23.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	11.68	15.12.2012	पूर्ण	पार्किंग पूर्ण हो गई है तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा हो गया है।
24.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	46.11	25.10.2013	30.06.2018	पार्किंग पूर्ण हो गई है तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा हो गया है।
25.	पार्किंग परिसर, विकास नगर	15.00	26.02.2016	-	14.06.2018 तिथि को सिआयतकर्ता को समाप्ति नोटिस जारी किया गया है।
26.	पार्किंग परिसर रोहडू	10.00	19.11.2016	31.03.2021	कार्य प्रगति पर
राजस्व विभाग					
27.	पार्किंग परिसर, मण्डी	75	--	--	--

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.2 व 2.3.1; पृष्ठ 49 व 50)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय आधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता
राजस्व- दत्तमत्त						
1.	05	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	792.98	1,357.87	564.88	71.24
2.	13	सिंचाई, जलाधूर्ति एवं स्वच्छता	2,530.56	2,636.89	106.33	4.20
3.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	293.11	328.40	35.29	12.04
राजस्व-प्रभारित						
4.	20	ग्रामीण विकास	0.01	0.25	0.24	2148
पूंजीगत दत्तमत्त						
5.	03	न्याय प्रशासन	27.36	31.44	4.08	14.93
6.	10	लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन	1,435.88	1,485.58	49.70	3.46
7.	12	बागवानी	17.63	27.63	10.00	56.72
पूंजीगत-प्रभारित						
8.	29	वित्त	4,622.90	4,673.35	50.44	1.09
योग			9,720.43	10,541.41	820.96	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 50)

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 17, 21 एवं 28 2, 7 एवं 9	474.86	
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) एवं 23 (पूंजीगत) 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 23 (पूंजीगत) और 31	1,585.69	वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर प्राप्त किया गया तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/ हिमाचल प्रदेश विधान सभा को भेजी गई। प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी बाकी है तथा प्रावधानों पर आधिक्य का विनियमन लोक लेखा समीति द्वारा किया जाना है।
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 13, 16, 29(राजस्व) एवं 29 (पूंजीगत)	2,848.43	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10 एवं 23 (पूंजीगत) 1, 16 (राजस्व) एवं 29 (पूंजीगत)	3,037.61	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) 10 (पूंजीगत)	386.76	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/ बचत/ आधिक्य पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी प्रतीक्षित है। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी है तथा प्रावधानों पर आधिक्य का विनियमन किया जाना है।
योग			8,333.35	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 50)

नियमन के लिए अपेक्षित 2018-19 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व- दत्तमत्त				
1.	05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	7,92,98,29,300	13,57,86,52,649	5,64,88,23,349
2.	13-सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	25,30,55,93,000	26,36,88,76,708	1,06,32,83,708
3.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2,93,10,94,027	3,28,40,39,429	35,29,45,402
राजस्व-प्रभारित				
4.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	22,44,861	26,49,861	4,05,000
5.	20- ग्रामीण विकास	1,11,321	25,02,629	23,91,308
6.	सड़क एवं जल परिवहन	0	13,57,907	13,57,907
पूंजीगत- दत्तमत्त				
7.	03-न्याय प्रशासन	27,35,55,000	31,43,91,300	4,08,36,300
8.	10- लाक निर्माण- सड़क, पुल तथा भवन	14,35,88,02,000	14,85,58,26,067	49,70,24,067
9.	12- बागवानी	17,63,13,000	27,63,09,475	9,99,96,475
पूंजीगत- प्रभारित				
10.	10-लोक निर्माण- सड़क, पुल तथा भवन	10,51,26,032	1073,,69,160	22,43,128
11.	29- वित्त	46,22,90,44,000	4673,,34,54,196	50,44,10,196
योग		97,31,17,12,541	105,52,54,29,381	821,37,16,840

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 51)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	संख्या तथा अनुदान का नाम	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान से बचतें	पूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	12-बागवानी	344.96	342.76	2.19	16.89
2.	14-पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	385.97	352.00	33.97	34.37
3.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	188.27	100.01	88.26	7.78
पूंजीगत-दत्तमत्त					
4.	31-जनजातिय विकास	354.98	299.43	55.55	26.70
5.	32-अनुसूचित जनजाति उप-योजना	1,061.55	923.00	138.55	15.53
योग		2,335.73	2,017.21	318.52	101.27

स्रोत: वित्त लेखे/वी.एल.सी.।

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 51)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	5	भू -राजस्व एवं जिला प्रशासन	680.62	112.36	792.98	1357.87	564.88
2.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,530.56	0.00	2,530.56	2,636.89	106.33
3.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	261.52	31.59	293.11	328.40	35.29
पूंजीगत दत्तमत्त							
4.	03	न्याय प्रशासन	15.09	12.27	27.36	31.44	4.08
5.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	1,216.28	219.60	1,435.88	1,485.58	49.70
6.	12	बागवानी	16.93	0.70	17.63	27.63	10.00
पूंजीगत-प्रभारित							
7.	29	वित्त	3,184.20	1,438.70	4,622.90	4,673.35	50.44
योग			7,905.20	1,815.22	9,720.42	10,541.16	820.72

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 51)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष				मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
1.	03	न्याय प्रशासन	4059	01	051	15	3.63	2.27	0.10	4.09
2.	05	भू -राजस्व एवं जिला प्रशासन	2053	00	093	01	147.87	4.42	- 25.06	2.13
3.			2245	02	106	01	273.00	36.00	- 199.00	50.00
4.			2245	02	109	01	0	25.00	43.09	10.58
5.			2245	05	101	02	0	84.13	0.00	143.16
6.	10	लोक निर्माण कार्य-सङ्केत, पुल एवं भवन	3054	04	105	02	274.12	0.21	51.72	14.48
7.			3054	04	105	19	158.03	0	0.05	22.47
8.			3054	04	105	21	81.24	0	0.06	9.99
9.			3054	04	105	22	83.82	0	0.06	10.14
10.			3054	04	105	23	126.90	0	0.04	15.81
11.			5054	04	337	09	394.86	58.00	36.32	52.93
12.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215	01	799	03	47.15	0	202.22	106.42
13.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	01	102	13	5.24	20.82	2.54	29.46
14.			2408	01	800	02	12.00	10.75	1.75	5.84
15.	29	वित्त	2049	01	116	01	4.00	0	2.09	3.70
16.			2071	01	101	03	2,983.14	0	-0.32	83.17
17.			6003	00	110	01	0	1,438.70	5.89	51.34
18.	31	जनजातीय विकास	2215	01	796	01	4.29	0	0.32	1.46
19.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	01	110	03	282.66	0	-21.35	-2.71
20.	10	लोक निर्माण-सङ्केत, पुल तथा भवन	2059	80	053	05	115.88	0	0.10	- 3.36
21.			3054	04	105	07	685.11	0	0.42	- 1.42
22.			5054	04	337	19	266.32	0	-0.66	-2.00
23.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्सयिकी	2403	00	101	01	272.31	0.04	0.17	- 9.96
24.	20	ग्रामीण विकास	4515	00	101	01	5.71	0	4.00	- 4.00
25.	29	वित्त	2049	01	101	12	0	0	38.90	-38.90
26.			2049	01	101	13	0	0	23.37	-23.37
27.			2049	01	101	96	0	0	32.72	-32.72
28.			2049	03	104	01	1,061.73	0	49.18	-71.17
29.			2049	03	104	03	4.08	0	5.55	-5.49
30.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	5054	04	789	01	106.08	5.50	5.89	-1.12

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 52)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा				जनवरी-मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	2018-19 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
		जनवरी-मार्च 2019	मार्च 2019	जनवरी-मार्च 2019	मार्च 2019					
1.	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245	02	113	01	27.15	26.09	48.03	56.53	54.32
2.		2245	05	101	02	143.16	143.16	227.29	62.99	62.99
3.	08- शिक्षा	2202	02	109	06	83.26	53.88	88.37	94.22	60.97
4.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211	00	800	07	11.92	11.92	13.62	87.51	87.51
5.		4210	03	105	05	39.72	39.62	39.81	99.78	99.52
6.		4210	03	105	06	53.92	53.92	54.25	99.40	99.40
7.		4210	03	105	07	49.50	49.50	49.50	100.00	100.00
8.	10- लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	2216	05	053	01	18.72	14.88	24.38	76.76	61.01
9.		3054	04	105	20	133.35	100.20	194.96	68.40	51.40
10.		4059	80	051	03	17.52	15.79	25.18	69.59	62.69
11.		4059	80	051	05	24.69	22.52	27.45	89.96	82.04
12.		4216	01	106	01	53.03	46.13	61.94	85.62	74.48
13.		5054	04	101	01	29.03	28.92	33.33	87.10	86.76
14.		5054	04	337	11	44.46	42.49	49.22	90.33	86.33
15.		5054	04	337	16	17.41	13.71	17.41	100.00	78.72
16.		5054	04	337	23	44.32	36.48	49.07	90.33	74.34
17.	12- बागवानी	2401	00	119	74	24.00	17.03	24.00	100.00	70.94
18.	13-सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215	01	101	04	43.62	39.68	73.73	59.16	53.82
19.		2215	01	102	12	213.54	166.32	302.43	70.61	54.99
20.		2702	80	001	06	137.51	119.50	193.89	70.92	61.63
21.		2711	01	799	01	19.49	19.34	11.46	170.04	168.75
22.		4701	20	800	02	12.33	10.24	15.83	77.90	64.67
23.		4702	00	101	03	26.59	23.80	39.66	67.06	60.02
24.		4702	00	101	04	24.97	21.73	28.83	86.61	75.38
25.		4702	00	101	10	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00
26.		4705	00	313	01	30.55	26.46	42.02	72.71	62.97
27.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	4851	00	101	02	10.24	10.24	10.24	100.00	100.00
28.	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235	02	103	22	42.86	38.75	42.86	100.00	90.42
29.	20- ग्रमीण विकास	2216	03	102	01	18.56	18.56	18.62	99.67	99.67
30.	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	01	102	13	55.05	31.43	58.05	94.83	54.14
31.	23- विद्युत विकास	4801	01	190	06	56.77	56.77	91.70	61.91	61.91
32.		4801	01	190	09	32.73	32.73	32.73	100.00	100.00
33.	26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग	5452	01	800	03	28.28	27.62	50.00	56.56	55.23

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा				जनवरी-मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	2018-19 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
									जनवरी-मार्च 2019	मार्च 2019
34.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202	02	105	03	14.26	11.01	18.88	75.55	58.29
35.	29- वित्त	2049	01	101	29	39.75	39.75	39.75	100.00	100.00
36.		2049	01	101	३६	38.90	38.90	38.90	100.00	100.00
37.		2049	01	101	८७	23.37	23.37	23.37	100.00	100.00
38.		2049	01	101	४८	32.72	32.72	32.72	100.00	100.00
39.		2049	03	104	01	1022.53	1022.51	1039.74	98.35	98.34
40.		2071	01	101	02	16.48	16.48	16.48	100.00	100.00
41.		3451	00	091	01	18.69	17.20	19.11	97.79	90.01
42.	31- जनजातीय विकास	2215	01	796	09	15.57	15.57	15.57	100.00	100.00
43.		3054	04	796	05	29.93	29.75	39.01	76.73	76.27
44.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2202	03	789	04	63.25	63.25	63.25	100.00	100.00
45.		2217	80	789	02	25.00	25.00	27.50	90.91	90.91
46.		2401	00	789	42	25.19	25.19	25.19	100.00	100.00
47.		2408	01	789	01	20.84	20.84	20.84	100.00	100.00
48.		4210	03	789	03	14.06	14.06	14.06	100.00	100.00
49.		4210	03	789	04	14.06	14.06	14.06	100.00	100.00
50.		4210	03	789	05	14.06	14.06	14.06	100.00	100.00
51.		4215	01	789	04	26.01	22.01	34.94	74.43	63.00
52.		4215	01	789	08	23.16	18.23	35.18	65.82	51.80
53.		4702	00	789	04	15.44	12.72	16.41	94.14	77.54
54.		4801	01	789	01	22.02	22.02	42.70	51.58	51.58
55.		5054	03	789	02	60.68	44.84	86.77	69.93	51.68
56.		5054	04	789	01	76.45	60.33	115.92	65.95	52.05
57.		5054	04	789	04	31.79	27.17	37.52	84.74	72.41
योग						3267.46	3005.45	3886.79		

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.2 तथा 2.3.4; पृष्ठ 49 एवं 53)

विभिन्न अनुदान जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	01	विधान सभा	42.46	1.06	
2.	02	राज्यपाल एवं मंत्री परिषद	19.94	1.61	
3.	03	न्याय प्रशासन	184.90	25.20	
4.	04	सामान्य प्रशासन	209.49	18.83	
5.	06	आबकारी एवं कराधान	76.07	13.79	
6.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1312.64	143.83	
7.	08	शिक्षा	6124.09	955.16	
8.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1994.23	330.83	
9.	10	लोक निर्माण-सङ्क, पुल तथा भवन	3308.06	282.96	
10.	11	कृषि	482.27	72.67	
11.	12	बागवानी	361.85	19.09	
12.	14	पशुपालन, दुध विकास एवं मत्स्यिकी	420.34	68.34	
13.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	78.16	30.57	39
14.	16	बन एवं बन्य जीव	543.36	130.31	24
15.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	196.05	96.03	49
16.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	987.40	28.84	
17.	20	ग्रामीण विकास	1546.35	383.93	25
18.	21	सहकारिता	44.76	3.61	
19.	23	विद्युत विकास	636.26	53.45	
20.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30.52	1.19	
21.	25	सङ्क एवं जल परिवहन	321.20	2.25	
22.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	335.05	39.93	
23.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	558.47	118.35	21
24.	29	वित्त	5994.83	939.93	
25.	30	विविध सामान्य सेवाएं	107.29	8.97	
26.	31	जनजातीय विकास	1264.92	325.72	26
27.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1349.89	390.87	29
राजस्व-प्रभारित					
28.	03	न्याय प्रशासन	46.50	7.94	
29.	04	सामान्य प्रशासन	17.30	2.46	
	29	वित्त	4260.00	238.48	
पूँजीगत-दत्तमत्त					
31.	01	विधान सभा	7.51	1.46	
32.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	77.27	2.91	
33.	08	शिक्षा	139.05	26.17	
34.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	265.35	8.94	
35.	11	कृषि	73.84	2.83	
36.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	777.83	151.79	20
37.	14	पशुपालन, दुध विकास एवं मत्स्यिकी	17.74	5.79	33
38.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	284.64	1.33	
39.	18	उद्योग खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	62.38	23.38	37
40.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	17.37	3.48	20
41.	20	ग्रामीण विकास	23.17	5.70	25
42.	23	विद्युत विकास	635.08	131.45	21
43.	29	वित्त	12.78	6.27	49
44.	30	विविध सामान्य सेवाएं	50.66	4.05	
45.	31	जनजातीय विकास	381.68	82.25	22
46.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1077.08	154.08	
		योग	36758.07	5334.16	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.1; पृष्ठ 54)

विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां 2014-19 के दौरान निरंतर बचतें (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) हुईं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	निरंतर बचतें				
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	03	न्याय प्रशासन	4.52	12.53	9.82	10.14	25.20
2.	04	सामान्य प्रशासन	10.12	17.03	11.62	13.13	18.83
3.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	9.14	73.42	37.08	81.89	143.83
4.	08	शिक्षा	385.37	1076.22	864.96	665.02	955.16
5.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	151.89	366.81	295.90	211.66	330.85
6.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	6.72	35.36	35.18	43.67	68.34
7.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	11.64	31.40	28.40	16.81	30.57
8.	16	बन एवं वन्य जीव	3.39	33.23	57.50	85.36	130.31
9.	18	उद्योग खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	5.20	12.23	8.46	11.45	96.03
10.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1.06	47.43	20.78	55.55	28.84
11.	20	ग्रामीण विकास	109.86	228.23	121.61	402.93	383.93
12.	21	सहकारिता	5.26	8.45	10.23	3.54	3.61
13.	24	मुद्रण एवं लेखन समग्री	1.45	2.21	6.02	2.81	1.19
14.	25	सड़क एवं जल परिवहन	1.41	1.43	1.06	2.10	2.25
15.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	61.81	63.72	71.98	199.27	39.93
16.	29	वित्त	581.48	228.94	97.70	266.88	956.41
17.	30	विविध सामान्य सेवाएं	4.80	13.99	13.00	7.51	8.97
18.	31	जनजातीय विकास	14.36	129.65	177.85	242.88	325.72
19.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	17.15	32.62	321.15	405.83	390.87
पूँजीगत-दत्तमत्त							
20.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.44	6.01	2.93	4.77	8.94
21.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	8.96	270.58	185.72	88.76	151.79
22.	29	वित्त	5.49	5.20	1.51	7.98	6.27
23.	31	जनजातीय विकास	7.17	17.38	20.88	58.21	82.25
24.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	9.27	108.95	99.31	132.87	154.08

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 55)

क: वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए अत्यधिक अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष				कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतत
1.	04	2235	60	200	26	1000.00	1000.00	100.00
2.	06	2040	00	101	01	362.68	200.84	55.38
3.	06	2235	60	110	02	100.00	100.00	100.00
4.	08	2202	01	101	12	1639.00	1639.00	100.00
5.	08	2202	01	102	03	200.00	200.00	100.00
6.	08	2202	02	109	05	3948.00	1974.00	50.00
7.	08	2202	02	109	10	7850.00	7850.00	100.00
8.	08	2202	02	109	14	106.00	106.00	100.00
9.	08	2202	02	109	15	1185.00	1185.00	100.00
10.	08	2202	02	109	21	300.00	300.00	100.00
11.	08	2202	02	109	22	856.01	856.01	100.00
12.	08	2202	02	109	25	132.00	132.00	100.00
13.	08	2202	02	109	27	500.00	465.00	93.00
14.	08	2225	03	277	06	100.00	100.00	100.00
15.	08	4202	01	202	05	59.00	52.67	89.27
16.	08	4202	01	202	09	2500.00	2500.00	100.00
17.	09	2210	05	105	08	100.00	100.00	100.00
18.	09	2210	06	200	05	1500.00	1382.38	92.16
19.	09	2211	00	800	07	1702.00	1532.00	90.01
20.	10	3054	04	105	26	5000.00	5000.00	100.00
21.	11	2401	00	800	18	300.00	267.44	89.15
22.	13	4215	01	102	24	658.00	629.68	95.70
23.	13	4701	20	800	02	3853.95	2270.95	58.93
24.	13	4701	23	800	01	75.81	75.81	100.00
25.	13	4701	24	800	01	75.81	75.81	100.00
26.	13	4701	25	800	01	75.81	75.81	100.00
27.	13	4701	26	800	01	75.81	75.81	100.00
28.	13	4701	27	800	01	75.81	75.81	100.00
29.	13	4702	00	101	07	2994.00	1500.34	50.11
30.	13	4705	00	313	01	9991.00	5791.00	57.96
31.	13	4711	01	800	10	200.40	200.40	100.00
32.	13	4711	01	800	12	297.00	297.00	100.00
33.	13	4711	01	800	17	333.00	333.00	100.00
34.	14	2404	00	191	04	300.00	195.58	65.19
35.	15	2202	01	101	01	158.98	113.34	71.29
36.	15	2202	01	101	03	784.95	736.01	93.77
37.	15	2202	01	101	12	510.00	510.00	100.00
38.	15	3451	00	101	20	220.00	197.26	89.66
39.	15	3451	00	101	22	200.00	200.00	100.00
40.	15	5475	00	800	05	150.00	88.95	59.30
41.	16	2406	01	101	01	67.18	66.99	99.71
42.	16	2406	01	101	03	419.39	291.08	69.40
43.	16	2406	01	101	09	3291.00	3015.23	91.62
44.	16	2406	01	102	35	187.00	93.56	50.03
45.	16	2406	01	800	08	70.00	60.53	86.47
46.	18	2851	00	102	10	100.00	63.27	63.27
47.	18	2851	00	102	25	100.00	100.00	100.00
48.	18	2851	00	102	26	100.00	100.00	100.00
49.	18	2851	00	103	22	66.00	66.00	100.00
50.	18	2851	00	800	10	8000.00	6872.75	85.91
51.	18	2852	80	800	02	801.88	702.33	87.59
52.	18	4851	00	800	05	1613.00	1335.00	82.77

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष				कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
53.	19	2235	02	102	20	90.00	90.00	100.00
54.	19	2235	02	102	21	345.50	250.04	72.37
55.	19	4225	80	800	03	153.50	153.50	100.00
56.	20	2501	06	101	07	5068.00	4423.40	87.28
57.	20	2501	06	101	09	7500.00	7500.00	100.00
58.	20	2501	06	101	10	7500.00	6187.25	82.50
59.	20	2515	00	102	10	1448.00	1316.00	90.88
60.	23	2801	01	101	01	4000.00	4000.00	100.00
61.	23	2801	80	101	09	1000.00	1000.00	100.00
62.	23	6801	00	190	01	18172.01	18172.01	100.00
63.	23	6801	00	190	04	66.00	66.00	100.00
64.	28	2217	80	191	45	1367.76	835.28	61.07
65.	28	2217	80	191	47	223.00	173.00	77.58
66.	28	2217	80	191	50	667.00	667.00	100.00
67.	28	2217	80	192	12	200.00	200.00	100.00
68.	28	2217	80	192	14	2655.87	1590.60	59.89
69.	28	2217	80	192	18	2222.00	1604.66	72.22
70.	28	2217	80	193	13	577.37	352.87	61.12
71.	28	2217	80	193	14	385.00	297.00	77.14
72.	29	2049	01	101	89	20146.74	14039.99	69.69
73.	29	2071	01	102	02	74708.00	48378.39	64.76
74.	29	2235	60	102	05	1000.00	624.53	62.45
75.	29	7610	00	800	04	300.00	291.46	97.15
76.	30	4202	04	106	01	110.00	95.86	87.15
77.	31	2202	01	796	11	912.00	555.38	60.90
78.	31	2202	02	796	16	1073.00	966.00	90.03
79.	31	2202	02	796	18	118.01	67.09	56.85
80.	31	2202	03	796	08	594.00	318.36	53.60
81.	31	2210	04	796	06	78.00	78.00	100.00
82.	31	2210	06	796	15	90.00	81.00	90.00
83.	31	2211	00	796	08	3441.00	1804.00	52.43
84.	31	2211	00	796	09	131.00	101.48	77.47
85.	31	2211	00	796	10	233.00	210.00	90.13
86.	31	2215	01	796	09	2577.78	1415.21	54.90
87.	31	2216	03	796	01	356.00	224.00	62.92
88.	31	2230	03	796	06	103.37	78.35	75.80
89.	31	2235	02	796	03	2483.00	1606.57	64.70
90.	31	2251	00	796	03	945.00	673.24	71.24
91.	31	2401	00	796	01	94.69	52.78	55.74
92.	31	2401	00	796	22	162.00	132.52	81.80
93.	31	2401	00	796	23	72.00	58.70	81.53
94.	31	2401	00	796	45	198.00	139.07	70.24
95.	31	2401	00	796	46	149.00	96.60	64.83
96.	31	2401	00	796	48	396.01	234.31	59.17
97.	31	2401	00	796	53	900.00	671.93	74.66
98.	31	2401	00	796	54	110.01	63.00	57.27
99.	31	2402	00	796	10	108.00	74.88	69.33
100.	31	2402	00	796	11	198.00	148.85	75.18
101.	31	2403	00	796	10	126.00	95.89	76.10
102.	31	2406	01	796	28	450.00	431.61	95.91
103.	31	2406	01	796	29	135.00	81.38	60.28
104.	31	2406	02	796	07	110.00	101.10	91.91
105.	31	2501	06	796	05	68.00	63.00	92.65
106.	31	2501	06	796	07	693.00	630.00	90.91
107.	31	2501	06	796	08	297.00	270.00	90.91
108.	31	2505	01	796	07	5850.00	5265.00	90.00
109.	31	2515	00	796	10	198.00	180.00	90.91

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष				कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यरण राशि (₹ 50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यरण की प्रतिशतता
110.	31	4215	01	796	16	90.00	60.08	66.76
111.	31	4701	02	796	01	675.00	675.00	100.00
112.	31	4702	00	796	08	1022.00	748.77	73.27
113.	31	4705	00	796	01	792.00	792.00	100.00
114.	31	4711	01	796	01	551.00	450.00	81.67
115.	31	5054	03	796	03	644.00	644.00	100.00
116.	31	6801	00	796	10	4611.00	4611.00	100.00
117.	32	2202	01	789	11	1793.00	1052.75	58.71
118.	32	2202	01	789	12	627.00	333.93	53.26
119.	32	2202	02	789	14	3005.00	3005.00	100.00
120.	32	2202	02	789	16	639.00	639.00	100.00
121.	32	2202	03	789	05	1662.00	1169.48	70.37
122.	32	2205	00	789	02	63.00	50.35	79.92
123.	32	2210	03	789	03	365.00	243.73	66.78
124.	32	2217	80	789	03	503.00	446.70	88.81
125.	32	2225	01	789	10	1165.00	1165.00	100.00
126.	32	2235	02	789	20	518.00	274.90	53.07
127.	32	2401	00	789	25	453.00	328.52	72.52
128.	32	2401	00	789	35	554.00	320.06	57.77
129.	32	2406	01	789	09	113.00	113.00	100.00
130.	32	2406	01	789	15	1260.00	682.01	54.13
131.	32	2406	01	789	16	378.00	290.00	76.72
132.	32	2406	01	789	17	881.00	822.48	93.36
133.	32	2406	02	789	02	248.00	200.00	80.65
134.	32	2435	01	789	01	272.00	272.00	100.00
135.	32	2501	06	789	03	554.00	303.73	54.82
136.	32	2501	06	789	07	1939.00	1461.00	75.35
137.	32	2501	06	789	08	832.00	832.00	100.00
138.	32	2505	01	789	02	16374.00	14737.00	90.00
139.	32	2851	00	789	17	176.00	176.00	100.00
140.	32	2851	00	789	30	126.00	112.84	89.56
141.	32	4059	01	789	02	77.00	77.00	100.00
142.	32	4216	01	789	01	150.00	150.00	100.00
143.	32	4225	01	789	02	100.00	100.00	100.00
144.	32	4225	80	789	01	352.50	252.53	71.64
145.	32	4235	02	789	01	212.00	212.00	100.00
146.	32	4402	00	789	03	302.00	245.42	81.26
147.	32	4701	20	789	04	999.73	882.73	88.30
148.	32	4701	21	789	01	999.00	999.00	100.00
149.	32	4705	00	789	01	2217.00	2217.00	100.00
150.	32	4711	01	789	07	76.00	76.00	100.00
151.	32	4711	01	789	09	126.00	126.00	100.00
152.	32	4711	01	789	15	126.00	126.00	100.00
153.	32	4851	00	789	05	542.00	542.00	100.00
154.	32	5054	03	789	03	1260.00	1260.00	100.00
155.	32	6801	00	789	02	6117.00	6117.00	100.00
योग						2,95,182.32	2,32,824.77	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 55)

ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष				स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (रुलाख में)	कारण
1.	04-सामान्य प्रशासन	2235	60	200	26	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	1000	योजना के प्रचालन न होने के कारण
2.	06-आवकारी एवं कराधान	2235	60	110	02	छोटे विक्रेताओं हेतु ग्रुप दुर्घटना बीमा	100	संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
3.	08-शिक्षा	4202	01	202	09	मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र	2500	
4.		2225	03	277	06	अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति	100	
5.		2202	02	109	25	बोर्ड परीक्षाओं के दैरान किराए पर सीसीटीवी कैमरा	132	
6.		2202	01	102	03	निजी विद्यालयों के कमज़ोर प्रवर्ग विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	200	
7.		2202	02	109	21	मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना	300	शिक्षा ऋण पर उपदान हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण
8.		2202	02	109	22	मुख्यमंत्री वर्दी योजना	856.01	संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
9.		2202	01	101	12	महात्मा गांधी वर्दी योजना	1639	
10.		2202	02	109	10	माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिक करण	7850	योजना में परिवर्तन के कारण राशि का अभ्यर्पण
11.		2202	02	109	14	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा पर व्यय	106	
12.		2202	02	109	15	राजीव गांधी डिजीटल योजना (लैपटाप/टेबलेट)	1185	
13.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	05	105	08	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना -2	100	केन्द्रीय अंश जारी न होने से राज्यांश जारी नहीं किया जा सका
14.	10- लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	3054	04	105	26	हिमाचल पथ सुधार योजना	5000	कार्यों हेतु योजना का पूँजीगत प्रवर्ग में स्थानांतरण
15.		4701	26	800	01	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रिणी (जिला कुल्लू) का निर्माण	75.81	भारत सरकार से आनुपातिक निधि जारी न होने से राज्यांश अप्रयुक्त रहा
16.		4701	25	800	01	मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला कांगड़ा में सुक्रका हाड़ का निर्माण	75.81	
17.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701	23	800	01	कोनसिल भेररा मन्डप परियोजना पर व्यय	75.81	
18.		4701	24	800	01	परचू खड़ के दांए व बांए किनारों पर वर्षा जल संचय संरचना का निर्माण	75.81	
19.		4701	27	800	01	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी जिला कांगड़ा	75.81	
20.		4711	01	800	17	शिमला जिले में पब्बर नदी का चैनलीकरण	333	
21.		4711	01	800	10	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मण्डी एवं हमीरपुर में बरशावड से जाहू तक खड़ का चैनलीकरण	200.40	
22.		4711	01	800	12	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब बाउडी चरण -3 तक स्वान डाडन स्ट्रीम का चैनलीकरण	297	

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष				स्कीम का नाम	अध्यर्पण की राशि (₹लाख में)	कारण
23.	15- आयोजना एवं पिछळा क्षेत्र उपयोजना	3451	00	101	22	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिभा विकास निगम	200	योजना विभाग से तकनीकी शिक्षा विभाग को स्कीम का स्थानांतरण
24.		2202	01	101	12	महात्मा गांधी वर्दी योजना	510	स्कूली वर्दी की कम खरीद, इत्यादि।
25.	18- उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851	00	103	22	एकीकृत हथकरघा विकास योजना	66	योजना पर अंतिम निर्णय न होने के कारण
26.		2851	00	102	25	माइक्रो इण्डस्ट्री को ब्याज अनुदान	100	लाभार्थियों से मांग प्राप्ति न होने के कारण
27.		2851	00	102	26	इन्कूबेशन केन्द्र	100	
28.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	4225	80	800	03	पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण	153.50	प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण
29.		2235	02	102	20	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	90	भारत सरकार द्वारा उपायुक्त को सीधे जारी निधियाँ
30.	20-ग्रामीण विकास	2501	06	101	09	मुख्यमंत्री ग्रामीण आजीविका योजना	7500	संस्थागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
31.	23-विद्युत विकास	2801	80	101	09	यूटीएआई दिशानिर्देशों के अर्तात नुकसान की भरपाई करने हेतु डिस्काम को वित्तीय सहायता	1000	वर्ष 2017-18 हेतु कम्पनी के लाभ दर्शाने पर राशि का अध्यर्पण
32.		2801	01	101	01	एस जे वी एन एल	4000	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
33.		6801	00	190	04	विद्युत परियोजना को के एफ डब्ल्यू को अंश	66	हिमाचल प्रदेश विद्युत नियोगी द्वारा जमा-पत्र के माध्यम से सीधे ऋण का लाभ उठाया गया
34.		6801	00	190	01	हिमाचल प्रदेश विद्युत को ऋण	18172.01	ऋण का संवितरण न होने के कारण
35.	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	2217	80	192	12	निर्माण/उन्नयन हेतु विशेष राज्य वित्त आयोग पुरस्कार	200	राज्य में नगर परिषद/नगर पंचायतों का निर्माण/ उन्नयन न होने पर
36.		2217	80	191	50	सभी को सरदार पटेल शहरी आवास योजना	667	भारत सरकार में केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण राज्यांश का अध्यर्पण
37.	31- जनजातीय विकास	4701	02	796	01	प्रमुख सिंचाई योजना (AIBP)	675	भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने से
38.		4705	00	796	01	सिंचाई क्षेत्र विकास पर व्यय	792	संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
39.		5054	03	796	03	सी आर एफ के तहत सड़कों का निर्माण	644	भारत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी होने के कारण
40.		2210	04	796	06	आयुष	78	भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने के कारण
41.		6801	00	796	10	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम परियोजना हेतु ऋण	4611	कम ऋण जारी होने के कारण
42.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	4701	21	789	01	नादौन क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना	999	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण राज्यांश अप्रयुक्त रहा
43.		4705	00	789	01	सिंचाई क्षेत्र विकास	2217	
44.		4711	01	789	07	जिला मण्डी व हमीरपुर में बरशावड से जाहू तक सीर खड़क का चैनलीकरण	76	
45.		4711	01	789	09	पंजाब बाउण्डी चरण-3 तक स्वान डाउन स्ट्रीम का चैनलीकरण	126	
46.		4711	01	789	15	पब्लर नदी जिला शिमला का	126	

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष				स्कीम का नाम	अध्यर्पण की राशि (₹लाख में)	कारण
						चैनलीकरण		
47.		4851	00	789	05	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	542	
48.		6801	00	789	02	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	6117	
49.		2435	01	789	01	बाजार प्रोगण के निर्माण हेतु विपणन बोर्ड को अनुदान	272	
50.		2501	06	789	08	नेशनल रूर्बन मिशन	832	
51.		2851	00	789	17	आनलाईन विभागों का कम्प्यूट्रीकरण (NE GAP)	176	भारत सरकार से निधियां जारी न करने के कारण
52.		2225	01	789	10	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना	1165	संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
53.		2202	02	789	16	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	639	भारत सरकार से निधियां जारी न करने के कारण
54.		2202	02	789	14	माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिकरण	3005	योजना का समग्र शिक्षा अभियान में विलय न होने के कारण
55.		5054	03	789	03	ग्रामीण सड़क विश्व बैंक	1260	विश्व बैंक परियोजना के अतर्गत कार्यों की मंजूरी न होने के कारण
56.		4059	01	789	02	न्यायिक अवसंरचना का उन्नयन	77	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण राज्यांश अप्रयुक्त रहा।
57.		4216	01	789	01	सरकारी आवासीय भवन	150	कार्यों का निष्पादन न होने के कारण
58.		4225	01	789	02	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण	100	योजनांतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
59.		4235	02	789	01	बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगनवाड़ी केन्द्र	212	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण राज्यांश अप्रयुक्त रहा।
60.		2406	01	789	09	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	113	
योग							80105.97	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 55)

31 मार्च 2019 को ₹10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2014	न्याय प्रशासन पुलिस	226.68	31.77	14.02
2.	07	2055	पुलिस	1175.47	134.40	11.43
3.	08	2202	सामान्य शिक्षा	6100.79	953.91	15.64
4.	08	4202	शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	137.05	26.17	19.10
5.	09	2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1543.34	180.79	11.71
6.	09	2211	परिवार कल्याण	444.39	147.07	33.09
7.	10	2059	लोक निर्माण कार्य	602.81	83.03	13.77
8.	10	3054	सड़के एवं पुल	2681.32	610.62	22.77
9.	11	2401	फसल पालन	343.19	59.66	17.39
10.	11	2402	मुदा एवं जल संरक्षण	52.50	11.45	21.80
11.	12	2401	फसल पालन	294.15	19.18	6.52
12.	13	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	110.86	53.03	47.84
13.	13	4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	183.85	22.54	12.26
14.	13	4705	सिंचाई क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	99.91	57.91	57.96
15.	14	2403	पशुपालन	369.81	51.21	13.85
16.	15	2202	सामान्य शिक्षा	18.69	14.31	76.58
17.	16	2406	वन्य तथा वन्य जीव	523.19	128.09	24.48
18.	18	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	169.43	85.91	50.71
19.	18	4851	ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	56.93	22.47	39.47
20.	19	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	902.04	26.49	2.94
21.	20	2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	246.76	184.62	74.82
22.	20	2505	ग्रामीण रोजगार	429.77	116.12	27.02
23.	20	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	801.94	83.20	10.38
24.	23	2801	विद्युत	631.88	52.69	8.34
25.	23	6801	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	490.17	182.38	37.21
26.	27	2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	268.20	36.18	13.49
27.	28	2217	शहरी विकास	537.55	118.35	22.02
28.	29	2049	ब्याज भुगतान	4260.00	159.99	3.76
29.	29	2054	कोषागार एवं लेखे प्रशासन	58.20	12.45	21.38
30.	29	2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ	5892.93	1019.08	17.29
31.	31	2055	पुलिस	70.38	10.69	15.18
32.	31	2202	सामान्य शिक्षा	340.53	74.63	21.92
33.	31	2211	परिवार कल्याण	44.30	21.38	48.25
34.	31	2215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	58.83	15.58	26.48
35.	31	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	40.50	16.72	41.30

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
36.	31	2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	26.07	12.65	48.52
37.	31	2401	फसल पालन	46.43	20.49	44.13
38.	31	2406	वन एवं वन्य जीव	32.87	11.38	34.63
39.	31	2505	ग्रामीण रोजगार	58.50	52.65	90.00
40.	31	3054	सड़कें तथा पुल	214.55	45.17	21.06
41.	31	6801	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	74.20	46.20	62.26
42.	32	2202	सामान्य शिक्षा	395.85	95.19	24.05
43.	32	2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	136.42	12.50	9.16
44.	32	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	40.52	14.58	35.99
45.	32	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	156.59	28.37	18.11
46.	32	2401	फसल पालन	102.83	17.30	16.82
47.	32	2406	वन्य एवं वन्य जीव	46.59	22.33	47.93
48.	32	2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	36.69	25.97	70.77
49.	32	2505	शहरी विकास	163.74	147.37	90.00
50.	32	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	21.38	20.21	94.53
51.	32	4705	सिंचाई क्षेत्र विकास पर परिव्यय	22.17	22.17	100.00
52.	32	5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	439.97	20.67	4.70
53.	32	6801	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	90.63	61.42	67.77
			योग	32314.34	5500.69	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ 56)

31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1.	8443	106	सिविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन, बिलासपुर	87477.17
2.	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 1), घुमारवीं	321218.45
3.	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 2), घुमारवीं	299680.00
4.	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 3), घुमारवीं	122080.00
5.	8443	106	सिविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन, बिलासपुर	123960.00
6.	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	435931.00
7.	8443	106	सी.जे.एम., चम्बा	544006.62
8.	8443	106	सी.जे.एम., डलहौजी	67735.00
9.	8443	106	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, शिमला राजधानी	1939475.00
10.	8443	106	आई.जी.एम.सी., शिमला राजधानी	1539049.00
11.	8443	106	आई.जी.युवा तथा खेल परिसर शिमला, शिमला राजधानी	4261910.00
12.	8443	106	सब-न्यायाधीश, हमीरपुर	892120.00
13.	8443	106	सब-न्यायाधीश, बड़सर	249140.00
14.	8443	106	सब-न्यायाधीश, नादौन	144520.00
15.	8443	106	सी.जे.एम., कुल्लू	653091.00
16.	8443	106	सी.जी.एम. न्यायाधीश, आनी	44494.00
17.	8443	106	सब-न्यायाधीश, मनाली	173573.00
18.	8443	106	सब-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कांगड़ा	170639.00
19.	8443	106	सब-न्यायाधीश, नूरपुर	299513.00
20.	8443	106	सब-न्यायाधीश, पालमपुर	292355.00
21.	8443	106	सब-न्यायाधीश, देहरा	222037.60
22.	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला	124175.00
23.	8443	106	सब-न्यायाधीश, ज्वाली	113070.00
24.	8443	106	सब-न्यायाधीश द्वितीय डिविजन, कांगड़ा	163941.00
25.	8443	106	सब-न्यायाधीश, देहरा-2	114431.00
26.	8443	106	सब-न्यायाधीश, बैजनाथ	158841.00
27.	8443	106	ए.सी. से.डी.सी., धर्मशाला	31510.00
28.	8443	106	सी.जे.एम., धर्मशाला	701557.00
29.	8443	106	सब-न्यायाधीश, इंदौरा	76930.00
30.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, कल्पा	181634.00
31.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, सुंदरनगर	222613.00
32.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, मण्डी	762400.00
33.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, सरकारी	272746.00
34.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, जोगिन्द्रनगर	167775.20
35.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, करसोग	95684.00
36.	8443	106	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश	5000.00
37.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, गोहर	165438.00
38.	8443	106	जिला सत्र न्यायाधीश, शिमला	432942.00
39.	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर	171049.00

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोधागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
40.	8443	106	सब-न्यायाधीश, रामपुर	222679.00
41.	8443	106	सब-न्यायाधीश, ठियोग	201325.00
42.	8443	106	एस.डी.ओ. (सी.), डोडरा ब्वार	0.10
43.	8443	106	सब-न्यायाधीश, रोहदू	462993.00
44.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, शिमला	1078666.00
45.	8443	106	सब-न्यायाधीश, चौपाल	53121.00
46.	8443	106	सब-न्यायाधीश जुब्बल, शिमला	125234.00
47.	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर	98700.86
48.	8443	106	जिला सत्र न्यायाधीश, नाहन	120292.00
49.	8443	106	अपर जिला सत्र न्यायाधीश, नाहन	161734.00
50.	8443	106	सीनियर सब न्यायाधीश, नाहन (सीनियर डिविजन)	382910.00
51.	8443	106	सीविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन), पांचटा	209175.00
52.	8443	106	सीविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन), राजगढ़	104247.00
53.	8443	106	सब-न्यायाधीश, कण्डाघाट	61981.00
54.	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	345750.00
55.	8443	106	सीविल न्यायाधीश, नालागढ़	432964.00
56.	8443	106	सीविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन, सोलन	211148.00
57.	8443	106	सीविल न्यायाधीश, अकर्मा	142925.00
58.	8443	106	सीविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन, सोलन	336623.00
59.	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	101103.00
60.	8443	106	सीविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन, कसौली	91280.00
61.	8443	106	सीविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन, कसौली	189892.00
62.	8443	106	सीनियर सब न्यायाधीश, ऊना	938835.00
63.	8443	106	जूनियर सब न्यायाधीश, अम्ब	462834.00
64.	8448	106	आई.सी.ए.आर. की निधियां	925789.00
65.	8448	109	पी.एस., झण्डुता	97798.00
66.	8448	109	पी.एस., कल्पा	572525.33
67.	8448	109	पी.एस., दरंग	0.17
68.	8448	109	पी.एस., चौतड़ा	304667.17
69.	8448	109	पी.एस., रोहदू	16514.00
70.	8448	109	पी.एस., डोडरा ब्वार	9500.10
71.	8448	109	पी.एस. सोलन	0.32
72.	8448	109	पी.एस. कण्डाघाट	231578.00
73.	8448	109	पी.एस. गगरेट	0.88
74.	8448	109	पी.एस. अम्ब	0.38
75.	8448	109	नगर पंचायत, मेहतपुर	481.00
76.	8448	109	नगर पंचायत, संतोखगढ़	5506.17
77.	8448	109	पी.एस. नादौन	41264.00
78.	8448	109	पी.एस. भोरेंज	23480.00
योग				25611257.52 ₹ 2.56करोड़

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 57)

लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत बुक राजस्व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
1.	0006	0.33	3342.68	0.01
2.	0029	6.33	8.39	75.42
3.	0030	3.58	250.55	1.43
4.	0039	36.62	1481.63	2.47
5.	0041	35.68	408.01	8.74
6.	0042	1.25	104.38	1.19
7.	0043	0.38	487.08	0.08
8.	0045	214.27	307.46	69.69
9.	0049	74.26	385.88	19.24
10.	0051	0.05	13.86	0.39
11.	0055	11.11	72.89	15.24
12.	0056	0.09	0.29	29.78
13.	0057	0.11	0.11	100.00
14.	0059	32.36	69.92	46.28
15.	0070	33.89	51.34	66.00
16.	0075	1.60	20.76	7.72
17.	0202	1.72	214.59	0.80
18.	0210	5.38	12.02	44.73
19.	0211	0.03	0.03	100.00
20.	0215	1.47	62.13	2.37
21.	0217	4.29	4.29	100.00
22.	0220	0.97	2.08	46.69
23.	0230	4.49	7.99	56.20
24.	0235	7.54	9.61	78.39
25.	0250	0.01	0.01	100.00
26.	0401	7.69	10.94	70.26
27.	0403	0.57	1.18	48.79
28.	0405	0.39	3.38	11.61
29.	0406	22.89	76.32	30.00
30.	0407	0.01	0.01	100.00
31.	0408	98.37	98.37	100.00
32.	0425	21.83	24.65	88.55
33.	0515	4.07	5.18	78.62
34.	0575	0.18	0.18	100.00
35.	0700	0.11	0.12	90.06
36.	0801	1134.34	1134.34	100.00
37.	0851	0.59	0.93	63.55
38.	0852	8.75	8.69	100.61
39.	0853	51.38	221.05	23.25
40.	1054	78.03	80.72	96.66
41.	1055	0.38	0.38	100.00
42.	1452	1.25	1.33	94.15
43.	1456	0.07	0.07	100.00
44.	1475	2.16	8.52	25.40
	योग	1910.87	8994.34	

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 57)

लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अंतर्गत बुक राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2012	0.09	8.15	1.17
2.	2014	4.95	197.62	2.50
3.	2043	1.29	1.29	100.00
4.	2053	1.63	197.13	0.83
5.	2075	27.97	28.22	99.11
6.	2202	116.36	5691.76	2.04
7.	2204	0.19	22.54	0.83
8.	2211	204.40	362.93	56.32
9.	2216	1.21	103.31	1.17
10.	2230	100.77	239.83	42.02
11.	2235	74.33	1048.37	7.09
12.	2401	100.05	644.84	15.52
13.	2402	11.49	66.33	17.31
14.	2403	28.55	358.10	7.97
15.	2406	1.93	440.06	0.44
16.	2407	1.26	1.31	96.18
17.	2408	30.34	340.14	8.92
18.	2501	22.58	84.88	26.61
19.	2702	3.14	616.89	0.51
20.	2711	0.88	44.23	1.98
21.	2801	0.95	579.19	0.16
22.	2851	8.50	96.54	8.81
23.	2852	2.14	8.93	23.97
24.	3054	24.34	2234.26	1.09
25.	3452	0.15	116.45	0.13
26.	4070	18.49	21.99	84.08
27.	4202	20.78	326.90	6.36
28.	4215	0.60	417.69	0.14
29.	4216	1.45	73.47	1.97
30.	4225	1.42	10.15	14.01
31.	4235	8.49	9.71	87.38
32.	4401	1.45	65.98	2.19
33.	4402	0.88	34.92	2.51
34.	4406	0.50	11.16	4.48
35.	4701	57.83	59.00	98.02
36.	4711	124.63	137.02	90.96
37.	4851	23.46	46.43	50.54
38.	5054	36.85	1940.98	1.90
39.	5452	52.50	53.86	97.47
40.	5475	178.94	178.97	99.98
41.	6004	0.43	85.06	0.50
42.	7610	0.09	7.60	1.12
	योग	1,298.28	17,014.19	

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 57)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक की गई फ्लैगशिप योजनाएं

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
1.	सिंचाई प्रवाह योजना	11	2401	00	800	22	150
2.	जल से कृषि को बल	11	2401	00	800	21	250
3.	सिंचाई प्रवाह योजना	13	2702	01	800	02	150
4.	जल से कृषि को बल	13	2702	01	800	01	250
5.	मध्यम सिंचाई योजना	13	4701	27	800	01	85
6.	सौर सिंचाई योजना	13	2702	01	800	03	200
7.	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना	18	2851	00	800	10	80
योग							1,165

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 59)

उन मामलों की सूची जहाँ 2018-19 के दौरान अत्यधिक अभ्यर्पण हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पण प्रतिशत
1.	2059-80-001-01	19.88	4.70 (24)
2.	2059-80-001-03	5.61	2.09 (37)
3.	2059-80-053-03	129.11	31.51 (24)
4.	2059-80-053-05	115.10	21.85 (19)
5.	2059-80-053-06	115.88	21.75 (19)
6.	3054-04-105-02	11.27	2.77 (25)
7.	3054-04-105-05	0.38	0.12 (33)
8.	3054-04-105-06	685.11	145.54 (21)
9.	3054-04-105-07	683.66	145.96 (21)
10.	3054-04-105-19	153.70	59.06 (38)
11.	3054-04-105-20	291.96	92.96 (32)
12.	3054-04-105-21	80.96	28.78 (36)
13.	3054-04-105-22	83.56	23.22 (28)
14.	3054-04-105-23	126.58	41.11 (32)
15.	3054-04-105-26	50.00	50.00 (100)
16.	3054-80-001-01	51.93	12.55 (24)
17.	3054-80-001-05	5.50	1.68 (31)
	योग	2,610.19	685.65 (21)

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 60)

उन मामलों की सूची जहाँ 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान से अधिक व्यय (प्रत्येक में 15 लाख तथा उससे अधिक अथवा 20 ग्रातिशतया उससे ऊपर) हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	मूल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य (ग्रातिशत में)
1.	2401-00-104-00 - कृषि फार्म (राज्य योजनागत)	19.74	20.01	0.27 (13)
2.	2401-00-109-27-C00N- कृषि विस्तार	0	0.60	0.60 (100)
3.	2401-00-109-27-C90N - कृषि विस्तार	17.77	21.69	3.92 (22)
4.	2401-00-109-27-S10N - कृषि विस्तार	1.97	2.66	0.69 (35)
5.	2415-01-004-02- अनुदान - शोध हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को सहायता (राज्य योजनागत)	39.09	64.09	25.00 (64)
योग		78.57	109.04	30.48

परिशिष्ट-2.19

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 60)

अप्रयुक्त बजट प्रावधान/ बचतों (प्रत्येक में ₹ 20 लाख व उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत व उससे ऊपर) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	मूल बजट	बचतें	बचतों की प्रतिशतता
1.	2401-00-001 - निर्देशन तथा प्रशासन	36.45	6.52	17.89
2.	2401-00-103 - बीज	17.09	3.79	22.19
3.	2401-00-105 - खाद एवं उर्वरक	28.68	7.58	26.43
4.	2401-00-107 - पौध संरक्षण	0.22	0.05	23.52
5.	2401-00-109 - विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण	48.16	0.71	1.48
6.	2401-00-111 - कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी	2.20	0.74	33.48
7.	2401-00-113 - कृषि यांत्रिकी	21.40	0.78	3.62
8.	2401-00-115 - छोटे सीमांत किसान एवं कृषि श्रमिकों की योजना	0.40	0.34	84.74
9.	2401-00-800 - अन्य व्यय	157.82	57.91	36.69
10.	2402-00-101 - मृदा एवं जल संरक्षण	2.70	0.85	31.58
11.	2402-00-102 - मृदा संरक्षण	27.42	5.64	20.58
12.	2402-00-800 - अन्य व्यय	22.38	10.89	48.68
13.	2403-00-107 - चारा एवं चारागार विकास	8.00	0.22	2.72
14.	2407-00-800 - अन्य व्यय	1.60	0.35	21.59
15.	2810-00-103 - जैव भार	5.45	0.97	17.74
16.	4401-00-103 - बीज	39.98	1.10	2.76
17.	4402-00-102 - मृदा संरक्षण	27.45	1.68	6.13
	योग	447.40	100.12	

परिशिष्ट-2.20

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 61)

बिना बजट बिलों का अनुमोदन

क्रमांक	जिला कोषागार/ उप-कोषागार का नाम	डी.डी.ओ. की संख्या	मामलों की संख्या	बिना बजट प्राधिकृत (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार, बिलासपुर	02	04	34.74
2.	उप कोषागार, सिंहुता	01	01	1.21
3.	जिला कोषागार, हमीरपुर	04	04	2.37
4.	उप कोषागार, जवाली	02	02	12.37
5.	उप कोषागार, फतेहपुर	01	01	36.87
6.	उप कोषागार, सांगला	02	02	1.38
7.	जिला कोषागार, कुल्लू	09	09	131.96
8.	उप कोषागार, अन्नी	05	05	17.22
9.	कोषागार, काजा	03	03	0.80
10.	जिला कोषागार, शिमला	01	01	5.42
11.	उप कोषागार, कुमारसैन	01	01	2.03
12.	उप कोषागार, अर्की	01	01	6.35
योग		32	34	252.72

परिशिष्ट-2.21

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 61)

संस्थीकृत बजट से अधिक राशि का अनुमोदन

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	डी.डी.ओ.की संख्या	मामलों की संख्या	प्राधिकृत अधिक राशि (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार बिलासपुर	05	07	90.70
2.	जिला कोषागार चम्बा	07	10	25.04
3.	उप कोषागार डलहौजी	06	06	19.29
4.	उप कोषागार भरमौर	04	08	53.55
5.	उप कोषागार सलौनी	03	04	47.13
6.	उप कोषागार होली	03	03	15.48
7.	उप कोषागार शिलाई	06	07	20.71
8.	उप कोषागार भलेई	03	03	17.08
9.	जिला कोषागार हमीरपुर	04	05	131.00
10.	उप कोषागार नादौन	04	05	40.52
11.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित	03	06	195.40
12.	उप कोषागार कांगड़ा	10	10	390.80
13.	उप कोषागार देहरा	03	04	12.74
14.	उप कोषागार इंदौर	02	02	0.33
15.	उप कोषागार तुरपुर	07	09	465.13
16.	उप कोषागार पालमपुर	04	07	174.63
17.	उप कोषागार जाबली	03	05	152.74
18.	उप कोषागार फतेहपुर	02	06	235.98
19.	उप कोषागार खुनंडिया	01	01	14.10
20.	उप कोषागार रक्कड़	02	02	0.82
21.	उप कोषागार बैजनाथ	02	02	6.33
22.	उप कोषागार कस्बा-कोटला	03	04	23.51
23.	उप कोषागार ढीरा	01	01	3.01
24.	जिला कोषागार किनौर स्थित	01	12	122.09
25.	उप कोषागार मुंग	07	07	12.81
26.	उप कोषागार नीचार	05	05	20.08
27.	जिला कोषागार कुल्लू	06	07	83.67
28.	उप कोषागार अन्नी	02	02	6.80
29.	उप कोषागार बंजार	03	03	146.35
30.	उप कोषागार निरमंड	01	02	1.72
31.	जिला कोषागार केलांग	03	05	656.71
32.	उप कोषागार उदयपुर	02	02	11.49
33.	कोषागार काजा	07	08	114.45
34.	जिला कोषागार मण्डी	05	10	646.70
35.	उप कोषागार करसोग	02	02	0.56
36.	उप कोषागार सरकाघाट	02	02	2.25
37.	उप कोषागार चचयोट	03	04	8.46
38.	उप कोषागार निहरी	01	01	0.55
39.	उप कोषागार लडभरोल	01	02	36.56
40.	उप कोषागार बाली चौकी	01	01	0.08
41.	उप कोषागार कोटली	01	04	45.62
42.	उप कोषागार पधर	03	05	112.67

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	डी.डी.ओ.की संख्या	मामलों की संख्या	प्राधिकृत अधिक राशि (₹ लाख में)
43.	राजधानी कोषागार शिमला	03	04	110.15
44.	जिला कोषागार शिमला	13	15	315.27
45.	उप कोषागार सुन्नी	03	04	48.32
46.	उप कोषागार चौपाल	01	01	5.23
47.	उप कोषागार जुब्बल	02	03	7.29
48.	उप कोषागार कोटखाई	01	01	7.05
49.	उप कोषागार रामपुर	05	05	33.55
50.	उप कोषागार रोहदू	09	09	316.22
51.	उप कोषागार ठियोग	07	07	42.87
52.	उप कोषागार कुमारसैन	03	04	25.01
53.	उप कोषागार ननखरी	02	02	3.27
54.	उप कोषागार नेरवा	02	03	50.97
55.	उप कोषागार चिरगांव	04	04	9.38
56.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित	06	09	53.92
57.	उप कोषागार पच्छाद	02	03	33.05
58.	उप कोषागार पांवटा साहिब	02	02	3.16
59.	उप कोषागार राजगढ़	02	02	53.73
60.	उप कोषागार शिलाई	02	02	8.95
61.	उप कोषागार संगराह	02	05	11.63
62.	उप कोषागार कमराड	01	01	2.27
63.	उप कोषागार ददाहू	02	02	1.52
64.	उप कोषागार नोहराधार	02	02	12.01
65.	जिला कोषागार सोलन	04	06	79.56
66.	उप कोषागार अर्की	01	01	0.84
67.	उप कोषागार कसौली	02	04	8.32
68.	उप कोषागार कृष्णगढ़	04	04	5.88
69.	उप कोषागार ममलीग	01	01	1.86
70.	जिला कोषागार उना	03	05	12.03
71.	उप कोषागार हरौली	03	04	51.00
72.	उप कोषागार बंगाना	02	03	12.98
73.	उप कोषागार अम्ब	02	04	26.07
योग		242	323	5519.00

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 63)

31 मार्च 2019 तक बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि	
1	2	3.	4.	5.	6	7	
1. ग्रामीण विकास							
आवास	ग्रामीण विकास	2014-15	38	869.58	4	40.08	
		2015-16	50	2,120.23	3	9.22	
		2016-17	65	3,038.20	10	677.05	
		2017-18	123	8,649.79	89	7,661.07	
			276	14,677.80	106	83,87.42	
ग्रामीण रोजगार	ग्रामीण रोजगार	2011-12	1	8.08	-	-	
		2015-16	15	6,790.88	6	1,136.95	
		2016-17	34	34,301.61	12	1,000.00	
		2017-18	28	17,575.18	28	17,575.18	
			78	58,675.75	46	197,12.13	
कुल (ग्रामीण विकास)			354	73,353.55	152	280,99.55	
2. शिक्षा							
सामान्य शिक्षा	सामान्य शिक्षा	2015-16	1	100.00	1	100.00	
		2016-17	6	442.00	1	1.02	
		2017-18	27	7,445.76	27	7,445.76	
			34	79,87.76	29	75,46.78	
खेल एवं युवा सेवाएं	खेल एवं युवा सेवाएं	2016-17	1	300.00	-	-	
		2017-18	18	213.39	-	-	
			19	513.39	-	-	
कला एवं संस्कृति	कला एवं संस्कृति	2016-17	132	525.24	-	-	
		2017-18	108	820.53	106	650.53	
			240	1,345.77	106	650.53	
कुल (शिक्षा)			293	9,846.92	135	81,97.31	
3. शहरी विकास							
शहरी विकास	शहरी विकास	2014-15	5	212.58	1	15.23	
		2015-16	17	7,016.94	13	230.08	
		2016-17	104	38,296.73	37	8,895.49	
		2017-18	63	22,268.71	47	17,529.51	
			189	67,794.96	98	266,70.31	
सड़क तथा पुल	सड़क तथा पुल	2016-17	1	191.34	1	191.34	
		2017-18	1	600.00	1	600.00	
			2	791.34	2	7,91.34	
कुल (शहरी विकास)			191	68,586.63	100	27,461.65	
4. पशुपालन							
पशुपालन	पशुपालन	2014-15	11	344.37	-	-	
		2015-16	28	2,805.30	1	1,000.00	
		2017-18	28	1,591.03	28	825.44	
कुल (पशुपालन)			67	4,740.70	29	18,25.44	

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि	
5.	सहकारिता						
	खाद्य भण्डार एवं गोदाम	2016-17	8	14.81	1	8.00	
		2017-18	27	71.20	5	13.00	
	सहकारिता		35	86.01	6	21.00	
		2014-15	2	2.15	-	-	
		2015-16	3	4.30	-	-	
		2016-17	18	15.87	2	4.73	
		2017-18	43	109.32	6	14.20	
			66	131.64	8	18.93	
	कुल (सहकारिता)		101	217.65	14	39.93	
6.	पर्यटन						
	पर्यटन	2014-15	2	3.30	1	0.75	
		2015-16	2	4.15	1	2.90	
		2016-17	3	2,655.00	1	5.00	
		2017-18	10	12,507.40	3	107.40	
	कुल (पर्यटन)		17	15,169.85	6	116.05	
7.	उद्योग						
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2012-13	1	7.21	1	7.21	
		2014-15	2	24.09	2	24.09	
		2015-16	20	143.60	4	33.67	
		2016-17	71	3,505.66	34	1,339.75	
		2017-18	142	5,319.41	115	4,508.93	
	कुल (उद्योग)		236	8,999.97	156	5,913.65	
8.	कृषि						
	फसल पालन	2016-17	12	8,635.00	-	-	
		2017-18	17	5,280.74	5	3,680.00	
			29	13,915.74	5	3,680.00	
	मृदा संरक्षण		2017-18	5	60.50	5	60.50
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा		5	60.50	5	60.50	
		2017-18	48	25,138.96	7	558.46	
			48	25,138.96	7	558.46	
	विशेष कार्यक्रम	2014-15	15	851.27	-	-	
		2015-16	22	3,277.39	-	-	
		2016-17	36	11,471.76	3	955.00	
		2017-18	53	7,543.66	15	3,094.23	
			126	23,144.09	18	4,049.23	
	दुर्घट विकास	2015-16	21	1,666.16	-	-	
		2016-17	21	1,661.88	-	-	
		2017-18	21	1,666.05	-	-	
	अन्य कृषि कार्यक्रम		63	4,994.09	-	-	
		2016-17	2	1,000.00	-	-	
		2017-18	2	1,000.00	-	-	
			4	2,000.00	-	-	
	कुल (कृषि)		275	69,253.38	35	8,348.19	

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
9.	वन					
	वन एवं वन्य जीव	2014–15	10	51.06	-	-
		2015–16	21	160.53	11	95.99
		2016–17	100	458.96	23	8.16
		2017–18	30	602.95	9	47.20
	कुल (वन)		161	1,273.50	43	151.35
10.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2016–17	77	70,12.62	13	615.23
		2017–18	1,109	139,16.89	33	2,855.26
			1,186	209,29.51	46	3,470.50
	परिवारिक स्वास्थ्य	2016–17	36	115,91.52	-	-
		2017–18	56	204,21.07	-	-
			92	320,12.59	-	-
	कुल (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)		1,278	529,42.10	46	3,470.50
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2012–13	7	254.26	7	254.26
		2013–14	3	8.60	3	8.60
		2015–16	4	235.00	-	-
		2016–17	5	237.00	4	235.00
		2017–18	5	229.07	3	203.00
			24	963.93	17	700.86
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	2016–17	1	49.00	1	49.00
		2017–18	1	49.00	1	49.00
			2	98.00	2	98.00
	कुल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		26	1,061.93	19	798.86
12.	मत्स्यकी					
	मत्स्यकी	2016–17	10	15.07	10	15.07
		2017–18	18	75.18	18	75.18
	कुल (मत्स्यकी)		28	90.25	28	90.25
13.	योजना					
	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2014–15	5	55.54	-	-
		2015–16	2	67.01	-	-
		2016–17	2	1,091.36	-	-
		2017–18	8	2,903.08	8	2,903.08
	कुल (योजना)		17	4,116.99	8	2,903.08
14.	राजस्व विभाग					
	भू राजस्व	2015–16	1	1.00	-	-
		2016–17	14	70.00	13	65.00
		2017–18	33	214	31	206.40
			48	285.00	44	271.40
	विभिन्न सामान्य सेवाएं	2015–16	1	49.74	-	-
		2016–17	16	207.93	-	-
		2017–18	39	390.04	-	-
			56	647.71	-	-
	कुल (राजस्व विभाग)		104	932.71	44	271.40

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
15.	परिवहन विभाग					
	परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	2017-18	1	36.00	1	36.00
	सड़क परिवहन	2016-17	2	559.48	-	-
		2017-18	-	14,500	-	-
			2	150,59.48	-	-
	कुल (परिवहन विभाग)		3	150,95.48	1	36.00
16.	श्रमिक एवं रोजगार					
	श्रमिक एवं रोजगार	2017-18	1	5.00	1	5.00
	कुल (श्रमिक एवं रोजगार)		1	5.00	1	5.00
17.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य					
	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2016-17	2	399.20	-	-
		2017-18	7	1,033.08	7	683.08
	कुल (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)		9	1,432.28	7	683.08
18.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2015-16	26	125.79	3	18.47
		2016-17	137	2,616.55	5	77.19
		2017-18	416	5,351.82	374	1,896.88
	अन्य सामाजिक समुदाय		579	8,094.15	382	1,992.54
		2017-18	3	300.69	1	0.27
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2016-17	4	23.50	4	23.50
		2017-18	3	23.03	3	23.03
			7	46.53	7	46.53
	कुल (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण)		589	8,441.37	390	2,039.34
19.	ऊर्जा विभाग					
	विद्युत	2017-18	5	311.00	-	-
			5	311.00	-	-
	ऊर्जा के अपंरपरागत स्रोत	2017-18	4	20.00	3	16.00
			4	20.00	3	16.00
	कुज (ऊर्जा विभाग)		9	331.00	3	16.00
20.	पंचायती राज विभाग					
	ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2011-12	156	4,882.35	149	3,291.62
		2012-13	150	4,925.90	109	2,171.38
		2013-14	156	10,371.62	112	4,318.54
		2014-15	195	23,316.95	141	15,066.52
		2015-16	150	29,117.58	96	9,009.82
		2016-17	375	47,480.89	272	26,674.47
		2017-18	394	51,836.50	283	38,454.98
			1,576	1719,31.80	1,162	989,87.32
	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	2016-17	3	35.00	3	33.00
			3	35.00	3	33.00
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	2016-17	1	149.00	-	-
	कुल (पंचायती राज विभाग)		1,580	1721,15.80	1,165	990,20.32

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि	
21.	आबकारी एवं कराधान विभाग						
	स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं कार्यभार	2015-16	8	306.85	-	-	
		2016-17	250	688.65	-	-	
		2017-18	31	1,029.48	7	64.57	
	अन्य कर		289	2,024.99	7	64.57	
		2017-18	1	60.00	-	-	
	कुल (आबकारी एवं कराधान विभाग)		290	2,084.99	7	64.57	
22.	विज्ञान एवं प्रोटोगिकी						
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2016-17	6	28.42	-	-	
		2017-18	71	811.18	9	161.12	
			77	839.60	9	161.12	
	पर्यावरण परिस्थितिकी	2017-18	20	185.50	8	147.80	
			20	185.50	8	147.80	
	कुल (विज्ञान एवं प्रोटोगिकी)		97	1,025.10	17	308.92	
23.	हिपा						
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2017-18	19	530.00	1	20.00	
अन्य (हिपा)			19	530.00	1	20.00	
24.	राज्य के अंग						
	संसद/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश विधायिका	2017-18	1	8.23	-	-	
कुल (राज्य के अंग)			1	8.23	-	-	
25.	प्रशासनिक सेवाएं						
	सचिवालय सामान्य सेवाएं	2017-18	7	151.72	-	-	
कुल (प्रशासनिक सेवाएं)			7	151.72	-	-	
26.	पुलिस						
	पुलिस	2016-17	4	1,025.51	-	-	
		2017-18	1	10.00	-	-	
कुल (पुलिस)			5	103,5.51	-	-	
सकल योग			5,758	5128,42.29	2,407	1898,80.45	

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 64)

स्वायत निकायों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति एवं राज्य विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण को दर्शाती विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे देय हैं तथा लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब
1	हिंप्र० राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 बाद	2017-18	2 महीने 17 दिन	2017-18 (17.10.2018)	2015-16 (15.03.2017)	2018-19
2	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	-	2018-19	-	2013-14	2013-14	--
3	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	2018-19
4	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऊना	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
5	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, नाहन	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
6	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, चम्बा	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
7	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
8	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	-	2018-19	-	2013-14	2013-14	--
9	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, सोलन	-	2018-19	-	2013-14	2013-14	--
10	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	2018-19
11	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
12	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगड़ा	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
13	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, मण्डी	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
14	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण वर्कर्ज कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10	2015-16 से 2017-18	2015-16 (2 वर्ष) 2016-17 (1 वर्ष)	2014-15	2014-15	उपयुक्त

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 65)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागवद् एवं अवधिवद् ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	01	0.40	02	2.55	01	0.93	-	-	-	-	-	-	04	3.88
2.	ग्रामीण विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	-	-	01	9.20	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	-	-	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	-	-	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	-	-	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	नगर परिषद् चम्बा	01	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.42
9.	गृह रक्षा	-	-	-	-	-	-	02	25.37	-	-	-	-	02	25.37
10.	स्वास्थ्य (चिकित्सा विभाग)	-	-	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	01	0.95
11.	वन	01	3.99	01	2.38	-	-	01	0.63	-	-	03	15.14	06	22.14
12.	लोक निर्माण	-	-	-	-	-	-	06	7.42	01	1.05	08	2.69	15	11.16
13.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.89	02	7.71	-	-	02	0.31	05	8.91
	योग	3	4.81	8	12.51	5	12.03	12	41.39	3	4.91	13	18.14	44	93.79

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 65)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	03	2.00	01	1.88	04	3.88
ग्रामीण विकास	02	4.68	-	-	02	4.68
कृषि	-	-	02	9.46	02	9.46
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
भू-राजस्व	-	-	01	2.57	01	2.57
पुलिस	-	-	01	0.08	01	0.08
मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	01	1.28
नगर परिषद, चम्बा	-	-	01	0.42	01	0.42
गृह रक्षा	-	-	02	25.37	02	25.37
स्वास्थ्य (चिकित्सा विभाग)	-	-	01	0.95	01	0.95
वन	-	-	06	22.14	06	22.14
लोक निर्माण	01	0.21	14	10.95	15	11.16
सिचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.66	05	8.91
योग	09	8.48	35	85.31	44	93.79

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 66)

सार आकस्मिक बिल (ए.सी. बिल) से आहरित बकाया अग्रिमों तथा उनके समायोजन (विस्तृत आकस्मिक बिल (डी. सी. बिल)) का विवरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	एसी बिलों की राशि	डी सी बिलों की संख्या	डी सी बिलों की राशि	बकाया एसी बिल	
						संख्या	राशि
निदेशक, आयुर्वेद कसुम्पटी शिमला	2014-15	18	348.13	14	292.63	4	55.50
	2015-16	16	312.50	0	0	16	312.50
	2016-17	10	368.71	0	0	10	368.71
	2017-18	13	339.47	0	0	13	339.47
	2018-19	19	393.32	0	0	19	393.32
	योग	76	1,762.13	14	292.63	62	1,469.50
निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कसुम्पटी, शिमला	2014-15	13	1,398.33	0	0	13	1,398.33
	योग	13	1,398.33	0	0	13	1,398.33
निदेशक, कृषि, बालूगंज शिमला	2014-15	19	1.82	19	1.82	0	0
	2015-16	14	1.40	14	1.40	0	0
	2016-17	12	1.20	12	1.20	0	0
	2017-18	1	0.10	1	0.10	0	0
	2018-19	12	1.60	12	1.60	0	0
	योग	58	6.12	58	6.12	0	0
निदेशक, उद्यान, नवबहार शिमला	2014-15	24	4.04	24	4.04	0	0
	2015-16	39	5.33	39	5.33	0	0
	2016-17	30	4.29	30	4.29	0	0
	2017-18	39	17.43	39	17.43	0	0
	2018-19	27	5.38	27	5.38	0	0
	योग	159	36.47	159	36.47	0	0
निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल, शिमला		0	0	0	0	0	0
सकल योग		306	3,203.05	231	335.22	75	2,867.83 या ₹28.68 करोड़

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन, आदि हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्पालावकता अनुपात	उत्पालावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्पालावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर-विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5	समेकित निधि एवं लोक लेखा देयताएं	समेकित निधि देयताएं: मुख्यतः आन्तरिक उधारों अर्थात् बाजार ऋण, बाण्डस अन्य वित्तीय संस्थानों लघु बचत सुरक्षा निधि को जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति तथा भारत सरकार को प्राप्त ऋण एवं अग्रिम समाविष्ट होते हैं; लोक लेखा देयताएं: मुख्यतः लोक लेखा में बचे शेष (लघु बचतें एवं भविष्य निधि, निक्षेप, आरक्षित निधियां इत्यादि) समाविष्ट होते हैं।
6.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्यों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
7.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील व्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील व्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
8.	शुद्ध ऋण की उपलब्धता	राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की जाती है।
9.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील व्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील व्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
10.	गारंटियां	कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।